

खण्ड 2, अंक 5



अक्टूबर, 2018-जनवरी, 2019

पंचायती राज,
ग्रामीण विकास
तथा पेयजल एवं
स्वच्छता मंत्रालय
द्वारा प्रकाशित
न्यूज मैगजीन

आमोदय संकल्प



जीपीडीपी
ग्रामीण विकास और समृद्धि का वाहक

जन योजना अभियान
सबकी योजना, सबका विकास

4 पहल व उपलब्धियां
साल सशक्तिकरण एवं परिवर्तन के लिए






देश में आज 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए नेकर्स्ट जेनरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हाइवे हो, रेलवे हो, एअर-वे हो, वॉटरवे हो चौतरफा काम किया जा रहा है।

न्यू इंडिया की जब भी हम बात करते हैं, तो सबका साथ सबका विकास नए भारत के मूल में है। केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं को जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझाकर आगे बढ़ रही है। सरकार, सरोकार और सहकार ये भावना देश में मजबूत हुई है।

गांव और शहरों के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता था.... अपनी दवा पर खर्च करें या परिवार के लिए दो वक्त की रोटी पर खर्च करें। अपनी दवा पर खर्च करें या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें। गरीबों को इस सवाल का जवाब आयुष्मान भारत योजना के तौर पर मिल चुका है।

पशुपालन, गौ-संवर्द्धन, मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और मछली पालन का अलग विभाग करोड़ों किसानों की आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहे घर हों, उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहे गैस के कनेक्शन हों, सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन हों, शौचालय की सुविधा हो, ऐसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों तक सरकार खुद जा रही है, उनकी पहचान कर रही है, उन्हें ये सुविधाएं लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।



राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

भारत सरकार

राष्ट्रपति सचिवालय

**भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द का संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण
प्रविष्टि तिथि: 31 जनवरी, 2019**

माननीय सदस्यगण,

संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। 2019 का वर्ष, हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस वर्ष हम भारत के लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिये।

इस वर्ष हमारा देश, संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में, हमारे महान संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की रचना की थी। सेवा भाव और सदृश्यता के साथ जीवन जीने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार के प्रयासों में, शोषण की राजनीति के विरुद्ध जन-चेतना की मशाल जलाने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, समानता पर आधारित समाज के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई देती है।

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2014 के आम चुनावों से पहले, देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने, कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो। पहले दिन से मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन-सुविधाएं पहुंचें।

वो गरीब मां जो लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी, वो बेबस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूद अपना इलाज टालती थी, वो बेटी जो शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करती थी, वो बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोशनी का इंतजार करता था, वो किसान जो ओले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था, वो युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाता था, ऐसे ही असंख्य असहाय चेहरों ने मेरी सरकार के लक्ष्य तय किए। और इसी सोच ने मेरी सरकार की योजनाओं को आधार दिया। यही दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय का आदर्श रहा

है और उनका यह आदर्श ही, मेरी सरकार के कामकाज की सार्थकता की कसौटी बना है।

पिछले साढ़े चार वर्षों में, मेरी सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है, देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप मेरी सरकार ने देशवासियों का अपार स्नेह और विश्वास जीता है। हर एक भारतवासी का जीवन बेहतर हो, यही मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है।

माननीय सदस्यगण,

समग्र और आधुनिक विकास के लिए अनिवार्य है कि हमारे देश का एक भी भाई-बहन या एक भी परिवार बुनियादी जरूरतों से बचित न रहे। आम नागरिक का दर्द समझने वाली मेरी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की ओर सरकारी योजनाओं को नया स्वरूप देकर, अभूतपूर्व गति से काम किया। प्रभु बसवन्ना ने सबके प्रति संवेदनशीलता के इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा था:

‘दयवे धर्मद मूल वया’

अर्थात्, ‘करुणा ही सभी आस्थाओं का आधार है’।

सभी प्राणियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रेम और करुणा का भाव होना ही चाहिए।

शौचालय की सुविधा का न होना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारी बहू-बेटियों को गरिमाहीन और अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था। एक आकलन के अनुसार, इन शौचालयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षा, हो पा रही है और 3 लाख से ज्यादा गरीब देशवासियों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के इस वर्ष में हमें याद रखना है कि हमने पूज्य बापू की स्मृति में इस वर्ष 2 अक्टूबर तक देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है।

माननीय सदस्यगण,

हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों-बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है।

हम इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि बीमारी के इलाज का खर्च, किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है। इस पीड़ा को समझने वाली मेरी सरकार ने, पिछले वर्ष ‘आयुष्मान भारत योजना’ शुरू की। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना- ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब, अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं।

मेरी सरकार का यह भी प्रयास रहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इलाज के खर्च का बोझ कम से कम पड़े। ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरह, दिल की बीमारी में इस्टेमाल होने वाले स्टेंट की कीमत कम किए जाने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को औसतन लगभग 4,600 करोड़ रुपए सालाना की बचत हो रही है। घुटने के ट्रांसप्लांट की कीमत कम किए जाने से लोगों को सालाना लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मेरी सरकार ने किडनी की बीमारी से परेशान भाइयों और बहनों के लिए डायलिसिस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई है। इससे डायलिसिस के हर सेशन में लोगों को 2 हजार रुपए से अधिक

की बचत हो रही है।

इसके साथ ही, सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाइ-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। किसी अनहोनी के समय प्रत्येक योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के माध्यम से 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि उपलब्ध कराकर, मेरी सरकार ने देशवासियों का, उनके संकट के समय में साथ दिया है।

मेरी सरकार गरीब महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की चुनौती को समाप्त करने के लिए भी पूरी शक्ति से काम कर रही है। कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए तथा कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। देश के दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक भी टीकाकरण की सुविधा पहुंचे, इसके लिए सरकार ने 'मिशन इंद्रधनुष' योजना की शुरुआत की। जिसके फलस्वरूप अब देश बहुत तेजी के साथ 'पूर्ण टीकाकरण' के लक्ष्य के करीब पहुंच गया है।

चाहे शहर हो या गांव हो, मेरी सरकार स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तेजी से कर रही है। सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक, नए 'एम्स' बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार, नए आयुर्वेद विज्ञान संस्थान भी खोल रही है और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग को भी बढ़ावा दे रही है। गांवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं।

माननीय सदस्यगण,

जब मेरी सरकार ने यह लक्ष्य तय किया कि वर्ष 2022 में, जब देश स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब कोई भी परिवार बेघर न रहे, तो कुछ लोग सोचते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन सरकार ने पुरानी योजनाओं के घरों का निर्माण पूरा करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर और गांव में, घर बनाने के काम को अभूतपूर्व गति दी है।

पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पांच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था। गरीबों के लिए घर के निर्माण और घर की चाबी देने में पाँच गुना से ज्यादा की ये तेजी, देश के गरीबों की तकदीर और हमारे गांवों की तस्वीर बदल रही है।

इसी तरह शहरों में भी अब अपना घर बनवाना या खरीदना सामान्य आय के व्यक्ति के लिए अधिक आसान हुआ है। कालेधन और ऊंची कीमतों की वजह से, किसी सामान्य परिवार का, अपना घर होने का सपना पूरा होना मुश्किल हो गया था। मेरी सरकार ने RERA कानून लागू करके यह सुनिश्चित किया है कि घरों का निर्माण समय से पूरा हो और समय से आवेदक को सौंपा जाए, जिससे कि उसकी जीवन भर की कमाई फंसे नहीं। इस कानून के बाद देश भर में करीब 35 हजार 'रियल एस्टेट प्रोजेक्ट' रजिस्टर किए जा चुके हैं जिनमें लाखों घरों का निर्माण करके परिवारों को सौंपा जाना है।

'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत सरकार निम्न आय वर्ग के लोगों को साढ़े 6 प्रतिशत की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दे रही है। एक आकलन है कि अगर किसी ने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 वर्षों के लिए लिया है, तो उसे करीब-करीब 6 लाख रुपए की सहायता मिल रही है।

मेरी सरकार, हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है। वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। 'प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना' के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार

अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा।

मेरी सरकार, हर वर्ग की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे मध्यम वर्ग की पूँजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े।

माननीय सदस्यगण,

जब देश को अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक दूरदर्शी, सर्व-समावेशी, संवेदनशील, गरीब का दुःख समझने वाले प्रधानमंत्री मिले थे, तो अनेक नए विभाग, मंत्रालय और कार्यक्रम शुरू किए गए थे। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अलग मंत्रालय हो या आदिवासी कल्याण मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान हो या स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश को सड़कों द्वारा जोड़ने का अभियान, ये सब अटल जी की देन थे। अटल जी ने देश में व्याप्त असंतुलन को दूर करने का महायज्ञ शुरू किया था। अटल जी द्वारा शुरू किए गए ये कार्य और मंत्रालय 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत में सामाजिक असंतुलन समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे थे लेकिन दुर्भाग्यवश बाद में इन कार्यों को वैसी गति और निरंतरता नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए थी।

हम सभी जानते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई-बहनों को अगर उनके शारीरिक संघर्ष कम करने में सहायता मिल जाए, तो वे अपने दम-खम पर नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोच के साथ अटल जी द्वारा स्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग-जनों के लिए सहायता शिविरों की परंपरा शुरू की थी। लेकिन वर्ष 2014 तक स्थिति ये रही कि ऐसे सिर्फ 56 शिविरों का ही आयोजन हो सका।

2014 में सरकार बनने के बाद अटल जी के विज्ञन पर चलते हुए मेरी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ दिव्यांग-जनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू किया। बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांग-जन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांग-जनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं।

दिव्यांगजनों को, आने-जाने के समय, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर किस तरह की असुविधा होती है, इससे हम सभी परिचित हैं। मेरी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर लगभग एक हजार सरकारी इमारतों और 650 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग-जनों के लिए सुगम्य बनाया है।

दिव्यांग बच्चों को दूसरे राज्यों में जाने पर दूसरी तरह की सांकेतिक भाषा की वजह से तकलीफ होती थी। कई जगह एक ही राज्य में भी अलग-अलग सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उनकी इस तकलीफ को समझते हुए मेरी सरकार ने पूरे देश में दिव्यांग-जनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम शुरू किया। दिल्ली में स्थापित इंडियन साइन लैंगेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिव्यांग-जनों के लिए 3,000 शब्दों की डिक्शनरी प्रकाशित की जा चुकी है और 3,000 नए शब्दों की डिक्शनरी पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, केन्द्र सरकार की लगभग सौ वेबसाइटों को भी दिव्यांग-जनों की आवश्यकता के मुताबिक बदला गया है। मेरी सरकार ने 'दिव्यांग-जन अधिकार अधिनियम' लागू करके उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी में समानता का अवसर भी प्रदान किया है।

माननीय सदस्यगण,

वर्षों से हमारे देश में मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स पर होने वाले हादसों को लेकर बड़ी चर्चा होती रही है। संसद में भी यह विषय कई बार उठा है। वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी। मेरी सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं।

हमारे देशवासियों को प्रायः किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से ज़्याना पड़ता है। हर वर्ष कुछ जिलों में बाढ़ आती है, कुछ जिलों में सूखा पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी सरकार पूरा बल दे रही है और हम अपने राहत के कार्य पूरी क्षमता से कर सकें, इसके लिए पहले के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा राशि

मुहैया कराई गई है। चाहे दक्षिण भारत के राज्यों में समुद्री तृफान की आपदा हो या फिर पूर्वी भारत में बाढ़ का संकट, मेरी सरकार ने राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

माननीय सदस्यगण,

समाज में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा, जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं।

किसी नाबालिंग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सज्जा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सज्जा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सज्जा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।

हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।

इसी तरह, ‘अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा दिया जाना, सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यह पहल, देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वचित महसूस कर रहे थे। इस नई व्यवस्था का वर्तमान आरक्षण पर असर न पड़े, इसके लिए शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ाई जा रही है।

माननीय सदस्यगण,

हमारे युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत, दुनिया का सबसे युवा देश है और 21वीं सदी के युवा भारत की उम्मीदें, तथा उसके सपने मेरी सरकार की नीतियों-निर्णयों को प्रेरित करते रहे हैं।

अपने पैरों पर खड़ा होने की ललक रखने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत पिछले चार वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। आने वाले समय में देश में 15,000 से ज्यादा आई.टी.आई., 10,000 से ज्यादा कौशल विकास केन्द्र और 600 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र, भारत के युवाओं के कौशल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। इस योजना के तहत, 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों ने, पहली बार ऋण लेकर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है।

मेरी सरकार ने ‘स्टार्ट अप इंडिया’ तथा ‘स्टैंड अप इंडिया’ के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आर्थिक सहायता प्रदान की है। जिसके फलस्वरूप आज भारत का नाम ‘स्टार्ट अप’ की दुनिया में अग्रिम पक्कित के देशों में लिया जा रहा है।

‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’ के द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेन्टिव के साथ जोड़ा है। इस योजना के तहत, किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर, जो EPS और EPF का 12 प्रतिशत, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाना होता है, वो पहले तीन वर्ष तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के एक करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिल चुका है।

माननीय सदस्यगण,

हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बेटी-बेटे अच्छी तरह पढ़-लिख कर जीवन में आगे बढ़ें। उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT, 1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है। देश में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही स्कॉलरशिप और फेलोशिप की राशि में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, 103 केन्द्रीय विद्यालय, हर आदिवासी बहुल तातुके में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय बनाने की दिशा में कदम उठाकर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत आधार देने का काम किया जा रहा है।

शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई दिशाओं में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे अभी विद्यालयों में हैं, उन्हें अपने विचारों की उड़ान को सच्चाई में बदलने का पूरा अवसर मिले। Ideas से Innovation की इसी सोच के साथ सरकार, 5,000 से अधिक 'अटल टिंकिंग लैब्स' की स्थापना के लिए तत्पर है।

बदलते समय और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ रोजगार और व्यवसाय के तरीके बदल रहे हैं। हमारे देश का युवा इसके लिए तैयार हो सके, इस दिशा में मेरी सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

युवा केन्द्रित 'खेलो इंडिया' अभियान के तहत, मेरी सरकार देश के कोने-कोने से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके चयन में पारदर्शिता है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। इसका परिणाम हमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे पदकों के रूप में दिखाई देता है।

माननीय सदस्यगण,

आज भारत की बेटियां, हर क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता के इतने नए अवसर मिले हैं, उनका व्यापक स्तर पर आर्थिक समावेश और सशक्तीकरण हुआ है।

'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 प्रतिशत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं। 'दीन दयाल अंत्योदय योजना' के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। यह राशि, वर्ष 2014 के पहले के चार वर्षों में दिए गए ऋण से ढाई गुना ज्यादा है।

देश के छोटे और मझोले उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे कम से कम 3 प्रतिशत खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिशतों से ही करें।

मेरी सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में महिला होने की वजह से उनके साथ होने वाली गैर-बराबरी को दूर करने का प्रयास कर रही है। पिछले वर्ष ही यह फैसला लिया गया था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही, एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्थाई कमीशन दिया जाएगा। आजादी के इतने वर्ष बाद भी महिलाएं underground Mining के क्षेत्र में नौकरियों के अधिकार से वंचित थीं। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में भी महिलाओं को नौकरी के समान अवसर दिए जाएंगे।

इसके साथ ही, कामकाजी महिलाओं को, अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, बर्फ-बारी हो, या कोई और चुनौती हो, हमारे देश के मेहनती किसानों ने दिन-रात एक करके खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, डेयरी उत्पादों और मछली-

पालन तथा अन्य क्षेत्रों में इजाफा किया है। आप में से बहुत से सदस्यों ने गाँव के जीवन और किसानों के संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। हमारे किसान भाई-बहन हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार तो हैं ही, वे हमारे देश की परम्पराओं के भी संरक्षक हैं।

मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अनन्दाता किसानों का अभिनंदन करता हूँ। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।

खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूननतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

इसके साथ ही, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले, इसके लिए देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ कार्ड बाटे गए हैं। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग भी की गई है।

सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है। इनमें से 71 परियोजनाएं, अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही हैं। जल की प्रत्येक बूंद का समुचित उपयोग हो, इसके लिए सरकार माइक्रो-इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है।

फसल खराब होने की स्थिति में किसानों पर आने वाले संकट में सहायता के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत कम प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों को फसल बेचने में आसानी हो, इसके लिए देश की 1,500 से ज्यादा कृषि मिडियों को ऑनलाइन जोड़ने का अभियान चलाया गया है। फसलें बाजार तक पहुंचने में खराब न हो, उनका सही भंडारण हो सके, इसके लिए देशभर में जगह-जगह नए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फसल के बाद खेतों से निकलने वाले अवशेष से भी किसानों की कमाई हो सके, इसके लिए 'वेस्ट टु वेल्थ' अभियान चलाया जा रहा है।

मेरी सरकार, ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के द्वारा, मछुवारों को गहरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का प्रशिक्षण देने के साथ आधुनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्ध करा रही है।

ये सारे व्यापक कार्य, 70 वर्ष से चली आ रही हमारी कृषि व्यवस्था में स्थाई बदलाव लाएंगे और हमारे अनन्दाता किसानों को सशक्त करके उन्हें मुश्किलों से उबार पाएंगे तथा उनके सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएंगे।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी योजनाओं को गति देकर, यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी ई-गवर्नेंस का पूरा लाभ मिले। वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है तथा लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं।

ग्रामीण भाई-बहनों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचें, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना बहुत तेजी से की गई है। इन केन्द्रों में बैंकिंग से लेकर बीमा और पेंशन से लेकर स्कॉलरशिप की तमाम सुविधाएं गाँव के लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2014 में देश में सिर्फ 84 हजार 'कॉमन सर्विस सेंटर' थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है। इसमें से भी 2 लाख 12 हजार सर्विस

सेंटर केवल ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में ‘डेटा’ का आसानी से और कम दरों पर उपलब्ध होना, हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है और विकास का जरिया भी। वर्ष 2014 में जहां एक GB डेटा की कीमत लगभग ढाई सौ रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है। इसी तरह, मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था, वह भी अब आधे से कम हो गया है।

पहले सामान्य उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों को अपना सामान बेचना प्रायः नामुमकिन होता था। अब सरकारी खरीद के लिए GeM यानि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। GeM की वजह से जहां एक ओर सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है, वहीं दूसरी ओर देशभर के छोटे-बड़े शहरों और गांवों के व्यापारी अपना उत्पाद बिना किसी मुश्किल के सरकारी विभागों को बेच सकते हैं।

प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कड़ी में, सरकार ने हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति देने वाली योजना भी शुरू की है।

माननीय सदस्यगण,

महान संत तिरुवल्लुवर ने कहा है-

“इयट्रलुम् ईट्टलुम् कात्तलुम् कात्,
वगुत्तलुम् वल्लदअरसु”

यानि कि अच्छी सरकार समुचित ढंग से संपत्ति अर्जित करती है, राज्य के धन और सेवाओं को बढ़ाती है, उनका ठीक से संरक्षण करती है और लोगों के बीच राज्य की सुविधा और संपदा को सजगता के साथ न्यायपूर्ण तरीके से पहुंचाती है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 45 साल बाद भी हमारे देश में गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधाओं की क्या स्थिति थी, इससे हम सब भली-भांति परिचित हैं। मेरी सरकार की जनधन योजना इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि कैसे एक बड़े आर्थिक परिवर्तन का आधार तैयार किया जाता है। यह योजना सिर्फ लोगों के बैंक खाते खोलने मात्र की नहीं है। इसके उद्देश्य बहुत व्यापक हैं। यह योजना, देश के गरीब का आर्थिक समावेश कर रही है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही है।

जनधन योजना की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार वर्ष 2014 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में खोले गए कुल बैंक खातों के 55 प्रतिशत खाते, भारत में ही खुले हैं। आंकड़ों से आगे बढ़कर इसका जो सकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, उसे भी जानना आवश्यक है।

हमारी माताएं-बहनें, बुरे वक्त में काम आने के लिए हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखती थीं। लेकिन अकसर ये पैसे रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो जाते थे। आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है। जनधन योजना की वजह से ही आज मनरेगा का पैसा, अलग-अलग बीमा योजनाओं की राशि, स्कॉलरशिप, पेंशन, ज्यादातर सरकारी लाभ, DBT के जरिए सीधे गरीबों के बैंक खातों में जाने लगा है। गरीब और सरकार के बीच बिचौलियों की भूमिका जनधन खातों ने समाप्त कर दी है।

आज अगर देश में 60 करोड़ से ज्यादा Rupay डेबिट कार्ड हैं और BHIM App के द्वारा कम लागत पर डिजिटल लेन-देन सुलभ हो रहा है, तो उसके पीछे जनधन योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी कड़ी में अब डाक घरों में स्थापित ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ के माध्यम से सरकार, बैंकिंग सेवाओं को लोगों के और निकट पहुंचा रही है। भारत में हो रहे इस आर्थिक समावेश की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है।

माननीय सदस्यगण,

समाज कल्याण के अनेक क्षेत्रों में ऐसी योजनाएं तो बीते कई दशकों से चल रही थीं लेकिन उनका अपेक्षित प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। नागरिकों के सुख-दुःख, उनकी परेशानियों के प्रति मेरी सरकार

की सजगता, सक्रियता और सही नीयत ने बड़े बदलावों को संभव कर दिखाया है।

वर्ष 2014 में मेरी सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत देने के साथ ही यह आदेश भी दिया था कि कालेधन और भ्रष्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी है। जन-मन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और कैबिनेट की पहली ही बैठक में कालेधन के खिलाफ SIT यानि विशेष जांच दल के गठन का निर्णय लिया। इसके बाद सरकार ने कालेधन के खिलाफ नया और कठोर कानून बनाया। विदेश में गैर-कानूनी तरीके से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी मेरी सरकार ने अभियान चलाया। टैक्स हेवेन समझे जाने वाले अनेक देशों के साथ नए सिरे से समझौते किए गए और कई देशों के साथ पुराने समझौतों की कमियों को दूर करते हुए, नए बदलाव लाए गए।

भारत से विदेश जा रहे कालेधन को रोकने के साथ ही मेरी सरकार ने, देश के भीतर भी कालेधन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। देश का हर वह सेक्टर जहां कालेधन का प्रवाह था, उसके लिए नए कानून बनाए गए, उन्हें टैक्स के दायरे में लाया गया। इन कार्रवाइयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोषित आय और अघोषित धन को स्वेच्छा से घोषित करने का अवसर भी दिया।

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।

सरकार के इस कदम ने देश को अस्थिर करने वाली ताकतों और कालेधन के प्रवाह में मदद करने वाली व्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी है। कालेधन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3 लाख 38 हजार संदिग्ध शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा खत्म किया जा चुका है। इन कंपनियों के निदेशकों के दोबारा चुने जाने पर भी पांचवीं लगा दी गई है।

वहीं 'बेनामी संपत्ति कानून', 'प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट' और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है। ये मेरी सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि आज रीयल इस्टेट सेक्टर में कालेधन के उपयोग में भारी कमी आई है जिसकी वजह से घरों की कीमतें कम हुई हैं और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का अपना घर होने का सपना सच हो रहा है।

माननीय सदस्यगण,

मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की इन नीतियों से सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और इनकम टैक्स देने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक-एक पैसा राष्ट्र-निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है।

मेरी सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार और कालाधन देश के ईमानदार करदाता के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। भ्रष्टाचार सदैव किसी ग्रीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति का अधिकार छीनता है। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया है।

'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे।

माननीय सदस्यगण,

देश को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करें, जो देशवासियों को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में मददगार हो।

वर्ष 2014 से पहले, पारदर्शिता के अभाव में, कोयला खदानों का आबंटन चर्चा में रहा करता था। मेरी सरकार ने उन्हीं कोयला खदानों की, पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके नीलामी की है और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है। 'इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड' के नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है। डिफाल्ट करने की नीयत से, बड़े-बड़े कर्ज लेकर उन्हें हड्डप जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है।

सरदार पटेल ने देश के भौगोलिक और राजनैतिक एकीकरण का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर प्राप्त किया था। लेकिन पूरे देश के व्यापक आर्थिक एकीकरण का काम अधूरा रह गया था। हमारे व्यापारी और उद्यमी हमेशा परेशान रहते थे कि वे अपना सामान कहां से खरीदें और कहां बेचें, किस तरह से अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कर-प्रणालियों का पालन करें। अब GST जैसा व्यापक कर सुधार लागू होने से One Nation-One Tax-One Market की अवधारणा साकार हुई है। GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहाँ पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। मैं देशवासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद, देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया। मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है।

मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है कि हमारे युवा सम्मान के साथ अपना रोजगार शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं जिनकी विश्व स्तर पर सराहना हो रही है। इन सब सुधारों के परिणामस्वरूप Ease of Doing Business की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142वें स्थान पर था, वहाँ अब 65 रैंक ऊपर आकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। यह एक असाधारण उपलब्धि है।

माननीय सदस्यगण,

पिछले साढ़े चार वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था औसतन 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014 में विश्व के जीडीपी में भारत का योगदान 2.6 प्रतिशत था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया है। आज भारत, विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे देश के सामने चौथी औद्योगिक क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर आया है। मेरी सरकार का यह प्रयास है कि देश के लोग इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं।

औद्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में आज Make in India की पहल के प्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं। अब भारत, मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हाल ही में लोकोमोटिव डीजल इंजनों को 10 हजार हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन में परिवर्तित करने का कीर्तिमान भी भारत ने स्थापित किया है। Make in India के तहत ही आंश्व प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े MedTech Zone की स्थापना की जा रही है। रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

आज मैं अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस दौर में भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में निरंतर बढ़ा रहे हैं। विशेषकर इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर, सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से 'मिशन गगनयान' के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार द्वारा तेजी से काम पूरा करने और जवाबदेही पर जोर देने से लोगों में सरकार पर विश्वास बढ़ा है तथा विकास को नई गति मिली है। आज मेरी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहचानी जाती है।

असम में, दशकों से लंबित, भारत का सबसे बड़ा बोगीबोल रेल-रोड ब्रिज हो, दिल्ली के पास 'वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' हो या फिर केरल का कोल्लम बाईपास, ऐसी अनेक परियोजनाओं में देरी के कारण देश के आम नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा था। इन्हें तपतरता के साथ पूरा करके मेरी सरकार ने देश के साधनों, सामर्थ्य तथा जनमानस की आकांक्षाओं के साथ न्याय किया है।

माननीय सदस्यगण,

21वीं सदी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, हर देशवासी की, विशेषकर मध्यम वर्ग और युवाओं की आकांक्षा से जुड़ा हुआ है। इस आकांक्षा के अनुरूप मेरी सरकार, नई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है।

प्रयागराज में रिकॉर्ड 11 महीने में बना एयरपोर्ट टर्मिनल इसका उदाहरण है। पिछले वर्ष देश का पहला कट्टेनर वेसल कोलकाता से चलकर, राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए वाराणसी तक पहुंचा है। 'ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे' को भी नवंबर 2015 में शुरू करके, पिछले साल देश को समर्पित किया जा चुका है।

मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों यानि संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया 'ग्रोथ इंजन' बनने की क्षमता है। इसलिए पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वॉटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार निरंतर बल दे रही है।

पूर्वी भारत में 19 एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से 5 एयरपोर्ट पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट और ओडिशा के झारसुगड़ा में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखण्ड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई 'ऊर्जा गंगा परियोजना' पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी।

सरकार, पूर्वी भारत में नए एम्स के साथ-साथ नए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इस्टिट्यूट की स्थापना भी कर रही है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण-मोतीहारी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है।

इसी तरह असम के लिए महत्वपूर्ण 'गैस क्रेकर प्रोजेक्ट' और ओडिशा में पारादीप तेल रिफाइनरी के कार्य में भी तेजी लाई गई है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ढोला-सदिया पुल जिसे भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया है, अब देश को समर्पित किया जा चुका है। सरकार ने जिन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई है उनमें से लगभग 13 हजार गांव पूर्वी भारत के ही हैं। इनमें से भी 5 हजार गांव पूर्वोत्तर राज्यों के दूर-दराज वाले इलाकों में स्थित हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने के लिए मेरी सरकार 'परिवहन और पर्यटन से परिवर्तन' के लक्ष्य पर काम कर रही है। पूर्वोत्तर की लगभग सभी रेल लाइनों को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। अब सभी 8 राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है।

माननीय सदस्यगण,

देश की सबसे तेज ट्रेन हो या देश का सबसे ऊंचा पुल; देश का सबसे लंबा सी-लिंक हो या देश की सबसे लंबी सुरंग; दोगुनी गति से हाईवे का निर्माण हो या रेल लाइनों के गेज में बदलाव; रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देना हो या देश के अनेक शहरों में नई मेट्रो परियोजनाएं; देश के छोटे-छोटे शहरों को हवाई

यात्रा से जोड़ना हो या नए जलमार्ग का निर्माण हो, इन सभी क्षेत्रों में मेरी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास कर रही है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रही है।

हमारे शहरों को आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्थाएं मिलें, हमारे शहर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन बनें, इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

नागरिक उद्ययन के क्षेत्र में भी देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 4 वर्ष से लगातार इस सेक्टर की विकास दर दो अंकों में रही है। वर्ष 2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बदलाव, बढ़ते हुए भारत की एक झलक पेश करता है। ‘उड़ान योजना’ के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं। इसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है।

साथ ही, सरकार द्वारा बीते साढ़े चार वर्षों में देश में तीन सौ से ज्यादा नए पासपोर्ट केन्द्रों की भी स्थापना की गई है। वर्ष 2014 से पहले देश में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 400 से ज्यादा हो गई है। अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बार-बार बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

माननीय सदस्यगण,

देश में चौतरफा विकास के लिए हो रहे इन कार्यों में हमारे श्रमिक भाई-बहन, हमारे लघु और मध्यम उद्यमी, हमारे इंजीनियर, हमारे ऑफिसर, डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक और हर पेशे तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सभी जिम्मेदार नागरिक संत रविदास के इस कथन को चरितार्थ करते हैं कि परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है:

श्रम कउ ईसर जानि कै, जऊ पूजहि दिन रैन।

‘रैदास’ तिन्हिं संसार मह, सदा मिलहि सुख चैन॥

यानि श्रम को ही ईश्वर जानकर जो लोग दिन-रात श्रम की पूजा करते हैं उन्हें संसार के सभी सुख-चैन प्राप्त होते हैं।

सरकार के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे सभी परिश्रमी प्रोफेशनल्स, राष्ट्र निर्माण के सजग प्रहरी हैं। इनकी आशाओं-आकांक्षाओं में जब सरकारी कर्मचारियों की इच्छाशक्ति भी जुड़ जाती है, तो वही अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिलते हैं, जो आज देश देख रहा है। मेरी सरकार हर कर्मचारी के सुख-दुःख में उसके साथ खड़ी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके मेरी सरकार ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की है।

मेरी सरकार ने कंपटीटिव को-ऑपरेटिव फेडरेलिज्म की व्यवस्था को निरंतर सशक्त करने का कार्य भी किया है। सरकार की ये सोच रही है कि राज्य सरकारें, अपने राज्य में विकास के कार्य, और प्रभावी तरीके से करें। इसी सोच पर चलते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मेरी सरकार ने राज्यों को विकास के लिए पहले की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक राशि देने का निर्णय किया।

माननीय सदस्यगण,

इस समय प्रयागराज में आयोजित कुंभ पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा है। इस विशाल आयोजन में इस बार तेज गति के साथ विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का स्थाई विकास किया गया है। गंगा-यमुना-सरस्वती का संगम क्षेत्र इस समय स्वच्छता और आधुनिक प्रबंधन का प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

गंगा, हमारे लिए केवल एक नदी ही नहीं है, गंगा हमारी माँ जैसी है, हमारी संस्कृति और आस्था का जीवन रूप है। गंगा को स्वच्छ रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इसके लिए मेरी सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीधार ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार, गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्र नायकों के योगदान को सम्मान देना, हर देशवासी का और सरकार का कर्तव्य है। आधुनिक भारत के निर्माताओं को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार ने गांधी जी की पुण्यतिथि पर दांडी में निर्मित 'राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक' देश को समर्पित किया है। इसी महीने दिल्ली में क्रांति मंदिर का भी लोकार्पण किया गया है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। सरकार ने उनके सम्मान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी देना शुरू किया है। सरकार ने बाबासाहब आबेडकर से जुड़े पांच पवित्र स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर विकसित करने का कार्य भी संपन्न किया है। देश ने लौहपुरुष सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊँची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' बनाकर उन्हें नमन किया है। मेरी सरकार देश के आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति में, अलग-अलग राज्यों में म्यूजियम का निर्माण करवा रही है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2015 में महामना मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से अलंकृत किया। इस वर्ष नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है।

जिन कर्मठ व्यक्तियों ने बिना किसी अपेक्षा के, निस्वार्थ भाव से जन-कल्याण के कार्य किए हैं, उन्हें बिना किसी भेद-भाव के उनकी योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करके मेरी सरकार ने त्याग और सेवा के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता जतायी है।

हमारी परंपरा में संतों और गुरुओं का दर्जा सबसे ऊपर है। इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया है। यह भी हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

माननीय सदस्यगण,

विश्व पटल पर, जहां एक ओर भारत, हर देश के साथ मधुर संबंध का हिमायती है, वहीं प्रतिपल हमें हर चुनौती से निपटने के लिए स्वयं को सशक्त भी करते रहना है। बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी 'नई नीति और नई रीति' का परिचय दिया है। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पक्कित में शामिल हुआ है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है।

हमारी सेनाएं और उनका मनोबल, 21वीं सदी के भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। मेरी सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।

मेरी सरकार का मानना है कि अपनी रक्षा जरूरतों को एक पल के लिए भी नज़रअंदाज़ करना, देश के वर्तमान और भविष्य, दोनों के ही हित में नहीं है। बीते वर्ष रक्षा क्षेत्र में हुए नए समझौतों, नए सैन्य उपकरणों की खरीद और Make In India के तहत देश में ही उनके निर्माण ने सेना का मनोबल बढ़ाया है और सैन्य-आत्मनिर्भरता की ओर देश का मार्ग प्रशस्त किया है। दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना, आने वाले महीनों में, नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान-राफेल को शामिल करके, अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने जा रही है।

आज इस अवसर पर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा मुस्तैद रहने वाले सुरक्षाबलों को भी बधाई देना चाहता हूं। आतंक और हिंसा में कमी लाने में उनके संगठित प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आए हैं, वह एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण करके देश के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है और उनकी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए संजोया गया है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में विकास का वातावरण बनना शुरू हुआ है। हाल ही में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में 13 वर्ष बाद और पंचायतों में 7 वर्ष के अंतराल के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुए जिनमें लोगों ने

बहुत उत्साह दिखाया और 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में से, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है।

यह मेरी सरकार की राजनीतिक सफलता है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। कुछ दिन पूर्व वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भारत की यह अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि और ज्यादा मुखर हुई है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आज भारत को यह गर्व है कि हमने विश्व समुदाय को योग जैसी श्रेष्ठ पद्धति की सौगत दी है।

सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के पासपोर्ट की ताकत और उसका मान ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि उनके सुख-दुःख की सहभागी भी बनी है। पिछले चार वर्ष में संकट में फंसे 2 लाख 26 हजार से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है।

पर्यावरण के संरक्षण में भारत की पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिले सम्मान ने प्रत्येक भारतीय का गौरव बढ़ाया है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत आज, विश्व-व्यापी सौर ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। पिछले वर्ष इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पहली महासभा की बैठक सफलता पूर्वक दिल्ली में आयोजित की गई।

वर्ष 2022 में भारत, जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के साथ आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन, भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाएगा।
माननीय सदस्यगण,

इस वर्ष हमारा देश, 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनावों के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इस सदी में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले युवाओं को, मैं इस सदन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते, अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे।

मेरी सरकार के प्रयासों से पूरे देश में, बेहतरी के लिए बदलाव हो रहे हैं और बदलाव की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मेरी सरकार नया भारत बनाने की ओर चल पड़ी है:


- एक ऐसा नया भारत, जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
- एक ऐसा नया भारत, जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और शिक्षित हो।
- एक ऐसा नया भारत, जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हों।
- एक ऐसा नया भारत, जहां हर बच्चा बिना किसी अभाव के जीवन में आगे बढ़े और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे।
- एक ऐसा नया भारत, जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी गरिमा सुनिश्चित हो।
- एक ऐसा नया भारत, जिसे पूरे विश्व में सम्मान से देखा जाए।

माननीय सदस्यगण,

आइए! हम सभी एक साथ मिलकर, नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और 21वीं सदी में भारत की प्रतिष्ठा को नए शिखर पर पहुंचाएं!

जय हिंद!

(रामनाथ कोविन्द)



नरेन्द्र सिंह तोमर

ग्रामीण विकास,
पंचायती राज, संसदीय कार्य
और खान मंत्री भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

संदेश

देश में प्राचीन काल से ही पंचायतों का अस्तित्व किसी न किसी रूप में रहा है। शासन में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र का सार है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्व-शासन, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक सेवा वितरण व्यवस्था का एक प्रभावकारी, सक्षम और पारदर्शी माध्यम बनाने की दिशा में काम किया है ताकि स्थानीय आबादी की आकांक्षाएं पूरी की जा सकें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में रा.ज.ग. सरकार चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में सरकार की बागड़ेर संभालते समय शासन में “सबका साथ सबका विकास” का आदर्श अपनाने की घोषणा की थी। ग्रामीण विकास में पंचायतों के महत्व पर बल देते हुए रा.ज.ग. सरकार ने पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक उपाय किए हैं। इनमें ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की शुरूआत निःसंदेह एक सफल प्रयोग रहा है। जीपीडीपी आयोजना प्रक्रिया का लक्ष्य ग्रामीण भारत के तीन परस्पर संबद्ध आयामों-आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, की विकास चुनौतियों का समाधान करना है। आर्थिक आयाम के अंतर्गत गरीबी दूर करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों से निर्धन और कम आय वाले परिवारों को योजना प्रक्रिया में भागीदार बनाया गया ताकि देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया के लाभ उन तक पहुंचाए जा सकें।


वर्ष 2019 में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती मनाने जा रहे हैं। गांधी जी गांव आधारित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। वे स्वच्छता के प्रति हमेशा समर्पित रहे। इसे देखते हुए मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में सबकी योजना सबका विकास नाम से एक विशेष सूचना अभियान शुरू किया। इसे 31 दिसम्बर 2018 तक चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पंचायतों के उत्साह को देखते हुए इसका विस्तार 20 जनवरी 2019 तक कर दिया गया। गांव की आवश्यकता के अनुरूप गांव के विकास की योजनाएं तैयार करने और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में इसे मील का पथर कहा जा सकता है।

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुधार और मानव विकास तथा जन साधारण की खुशहाली के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर लोगों को घर मुहैया कराने के लक्ष्य पर आधारित ग्रामीण योजना के अंतर्गत अप्रैल 2014 से अब तक 1.37 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। 2014-15 में इसके अंतर्गत 11.91 लाख मकान बनाए गए थे, जबकि 2018-19 के अंत तक एक ही वित्तीय वर्ष में 65 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा होने जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि मकानों का निर्माण, कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की तुलना में 5 गुना अधिक तेजी से किया जा रहा है।

चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अवार्ड अवधि वर्ष 2015-20 के लिए 2,00,292.20 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। इसमें से वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 के दौरान 117013.03 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस राशि से ग्राम वासी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।

माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा मौजूदा बजट सत्र में संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिनांक 31 जनवरी 2019 को दिये गए अधिभाषण को भी इस अंक में शमिल किया गया है। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय मुद्रे की उचित जानकारी प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के प्रयासों को आगे भी जारी रखा जाएगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के इन ईमानदार प्रयासों से ग्रामीण जीवन को सुखद एवं संपन्न बनाने, गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करने और अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरा सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह और अनुरोध है कि वे सरकार के प्रयासों में अपना अमूल्य योगदान करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।


(नरेन्द्र सिंह तोमर)



उमा भारती
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि पिछले चार वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कारब्रेज 38% से तेज़ी से बढ़कर लगभग 99% हो गया है। आज, लगभग 600 जिले और करीब 5.5 लाख गांव तथा 27 राज्य ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। हालांकि 9 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है स्वतंत्र अध्ययन दर्शाते हैं कि उनके उपयोग की स्थिति 90% से अधिक है।

ऐसे प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी ही हैं जिन्होंने 15 अगस्त, 2014 को अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस भाषण में भारत में स्वच्छता के मुद्रे को शामिल करके इसे सुर्खियों में ला दिया। दिल्ली में लाल किले की प्राचीरों से की गई इस घोषणा के बाद 2 अक्टूबर, 2014 को तत्काल, राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया। दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक 'स्वच्छ भारत' की प्राप्ति के उद्देश्य से इस परियोजना को 'मिशन मोड' में लागू किया गया जैसा कि इसके नाम में उल्लिखित है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अपने पूर्व के कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएसपी), CRSP अथवा निर्मल भारत अभियान (NBA) से इस मायने में भिन्न है क्योंकि इसमें लक्षित आवादी में व्यवहार परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर आईसी (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) अभियानों पर प्रमुख बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद करने पर दृढ़तापूर्वक बल दिया जाता है जिनसे यह आशा की जाती है कि वे स्वच्छता संबंधी आचरण में परिवर्तन लाएंगे, इसीलिए अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, आईसी कार्यकलापों का मुख्य आधार रहा है।

इसी प्रकार एसबीएम (जी) के पैदल सैनिक स्वच्छाग्रहियों पर भी समान रूप से फोकस किया गया है। देश भर में शौचालय की माँग को प्रेरित करने के उद्देश्य इन पांच लाख से भी अधिक स्वच्छाग्रहियों ने अथक श्रम किया है।

पिछले 4 वर्षों में इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आइकॉनिक सामाजिक एकजुटता अभियान (स्वच्छता ही सेवा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, स्वच्छ सुंदर शौचालय) चलाए गए जिसमें सुरक्षित शौचालय तकनीकियों को बढ़ावा देने तथा अपने परिवारों के स्वास्थ्य और गरिमा के लिए शौचालयों के निर्माण और उनका उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित रहा। एसबीएम (जी) के कार्य निष्पादन संबंधी संकेतकों (Indicator) की समयबद्ध उपलब्धि के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने तथा 'त्रिमदान' को बढ़ावा देना इन अभियानों का प्रमुख कारक रहा। देश के प्रमुख व्यक्तियों ने स्वयं इन अभियानों से जुड़कर नेतृत्व किया और कार्यक्रम की गतिविधियों की अगुवाई करते हुए त्रिमदान करके उदाहरण प्रस्तुत किए। मशहूर हस्तियों, बच्चों, महिलाओं, धर्मगुरुओं, समुदाय के सदस्यों, सामाजिक समूहों सभी ने मिलकर इन अभियानों को जन आंदोलन में बदल दिया। स्वच्छता आंदोलन को जनांदोलन बनाने के लिए लाखों लोग इन अभियानों में शामिल हुए।

स्वच्छता प्रत्येक का कर्तव्य भी बन गई। स्वच्छता पर कॉरपोरेट सीएसआर कार्यक्रमों के अलावा, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों ने अपने संबंधित क्षेत्र में (स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्य योजना प्रोजेक्ट्स) स्वच्छता को मुख्यधारा में लाने की शुरुआत की तथा स्वच्छता एवं साफ-सफाई हेतु विशेष बजट-प्रावधान की वचनबद्धता भी पूरी की। हाल ही में संपन्न हुए स्वच्छ सुन्दर शौचालय कैम्पन में देश के 1.34 करोड़ शौचालयों को सुन्दर रंगों से सजाया गया। स्पष्ट है, यह कार्यक्रम भारत की जनता का अपना कार्यक्रम बन गया है।

ज़ाहिर है कि यह मिशन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, जैसे-जैसे यह कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस देश के लोग जीवन के सभी पहलुओं में स्वच्छता बनाए रखेंगे।

जय हिंद!

Uma Bharti
(उमा भारती)

विषय सूची



जीरीड़ीपी: ग्रामीण विकास
और समृद्धि का वाहक

20

40 गंगा स्वच्छता सम्मेलन 2018



प्रधानमंत्री आवास योजना-
ग्रामीण

37

पंचायती राज मंत्रालय



पंचायतों का प्रोत्साहन

26-28



पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय



सफलता की कहानियाँ

41-44

बैंडिकूट 2.0 रोबोट: मानव हाथों के

45-46

बजाय अब रोबोट से होगी

सीकर की सफाई

ग्रामीण विकास मंत्रालय



4 साल की पहल और उपलब्धियां-मनरेगा

29-31

4 साल की पहल और उपलब्धियां-

32-33

DAY-NRLM

महिला विकास साग सब्जी सहकारी समिति

34-36

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

37-39

सलाहकार मण्डल

राहुल भट्टनागर

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

अमरजीत सिंहा

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

परमेश्वरन अद्यर

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मुख्य संपादक

अमरजीत सिंहा

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

संपादक मण्डल

आर्थिक सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

महानिदेशक, पेयजल एवं

स्वच्छता मंत्रालय

निदेशक (आई.ई.सी.), ग्रामीण विकास

मंत्रालय

निदेशक (आई.ई.सी.), पेयजल एवं

स्वच्छता मंत्रालय

निदेशक (मीडिया),

पंचायती राज मंत्रालय

संकलन एवं अनुवाद


जागरण प्रकाशन लिमिटेड



जन योजना अधियानः
सबकी योजना, सबका विकास

23

मनरेगा: चार साल की
पहल और उपलब्धियां



जीपीडीपी

ग्रामीण विकास और समृद्धि का वाहक है


“पंचायतें जितनी अधिक शक्ति-शाली होंगी उतनी ही लोगों के लिए बेहतर होंगी।” महात्मा गांधी

हमारी सरकार ने प्रारंभ से ही ‘कम से कम सरकार और अधिक से अधिक शासन’ के सिद्धांत पर अमल किया है। हम भली-भांति जानते हैं कि शासन में नागरिकों की भागीदारी के बिना लोकतंत्र का प्रयोजन पूरा नहीं किया जा सकता। असली भारत गांवों में निवास करता है, अतः गांवों के संदर्भ में यह बात और भी दीगर हो जाती है कि पंचायतों के माध्यम से लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित की जाये। शासन और योजनाओं का विकेन्द्रीकरण वह प्रमुख जरिया है जिसके माध्यम से लोकतंत्र सही अर्थों में लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। देश के दूरदराज के गांवों का विकास विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से ही संभव है। पंचायतें भारत के गांवों तक



विकास को पहुंचाने का प्रमुख माध्यम हैं। यह सर्वविदित है कि भारत में पंचायतें किसी न किसी रूप में सदियों से मौजूद रही हैं। दीर्घकाल से विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत के गांवों में स्थानीय स्वशासन विद्यमान रहा है। देश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के साथ ग्राम स्वराज पर विशेष जोर दिया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी गांव स्तर पर संस्थाओं के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित किया था। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अधिक शक्तियां देते हुए शासन और योजनाओं के विकेन्द्रीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। ग्रामीण पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए मौजूद संसाधनों के उपयोग का अधिकार दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें लोगों के संपूर्ण विकास के लिए काम करने वाली जमीनी संस्थाएं हैं। पिछले कुछ



नरेंद्र सिंह तोमर

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, संसदीय कार्य और खान मंत्री, भारत सरकार

जीपीडीपी के क्रियाव्यवन के लिए निगरानी तंत्र

- जियो-टैगिंग के माध्यम से सभी संपत्तियों और निधियों का पोर्टल में अँगलाइन डिस्प्ले।
- पंचायतों के व्यय और सभी लेनदेन के लिए पीएफएमएस का उपयोग करना।
- पंचायतों के कार्यों/गतिविधियों में गुणवत्ता नियंत्रण के साथ सामाजिक अंकेक्षण तंत्र (सोशल ऑडिट) को मजबूत करना।
- राज्य, जिला, ब्लॉक और सामुदायिक स्तरों पर समीक्षा और निगरानी करना।


वर्षों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों को विकेन्द्रीकृत योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), भारत सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन दिशा-निर्देशों में संशोधन कर सकती हैं। इससे बदले परिदृश्य में चौदहवें वित्त आयोग के तहत बढ़े हुए धन आवंटन से प्रमुख कार्यक्रमों और संसाधन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा सकेगा तथा योजनाओं के समन्वय से अधिक लाभ उठाया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना है। इनके माध्यम से ग्रामवासी स्थानीय विकास में सहभागी बनते हैं। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना के जरिए, राज्य सरकारों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों, संस्थानों और विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर देश के प्रत्येक गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह मंत्रालय गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों की क्षमता निर्माण में सहायता करता है और उन्हें व्यापक विकास के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। उम्मीद है कि जीपीडीपी से गांवों के समग्र विकास और लिंग भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें अधिक धन देने की सिफारिश की है। वित्त आयोग की सिफारिशों को देखते हुए ग्राम पंचायतों को 2,00,292 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सुशासन और सामाजिक रूप से समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों को बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया है, ताकि ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में विकेंद्रित योजनाओं को नई स्फूर्ति प्राप्त हो।

हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि देश में उभरते नए परिदृश्य और समग्र विकास की आवश्यकता के महेनजर, जीपीडीपी के पुराने दिशानिर्देशों को नया रूप देने की आवश्यकता है। इसलिए, मंत्रालय ने ग्राम विकास योजना के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। नए दिशा-निर्देशों में

विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय पर ध्यान दिया गया है। ये निर्देश पंचायती राज संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों के बीच सामंजस्य कायम करने, आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने, सामाजिक एवं लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायत होंगे तथा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में मार्गदर्शक का काम करेंगे। इनमें उन चरणों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है जो ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक हैं। नए दिशा-निर्देशों में बुनियादी सुविधाओं से परे सामाजिक व आर्थिक मुद्दों, जैसे जल प्रबंधन, पर्यावरण, और कमज़ोर वर्गों की जरूरतों, लिंग समानता, गरीबी में कमी लाने आदि पर विशेष बल दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी-2030) की प्राप्ति भी जीपीडीपी का प्रमुख लक्ष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी प्रयत्नों का ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बड़ा योगदान रहेगा।

जीपीडीपी की इस अनूठी पहल के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है कि ग्राम पंचायतों गांवों के विकास के लिए पंच-वर्षीय और एक-वर्षीय योजनाएं तैयार करेंगी। अब ग्राम पंचायतों द्वारा भागीदारी तथा संसाधनों व अनुदानों के समन्वय के आधार पर जीपीडीपी तैयार की जाएगी। राज्य सरकारें सभी स्थानीय निकायों को अनुदान और संसाधनों के आवंटन की जानकारी देती है, जिससे प्रत्येक पंचायत को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध राशि की सूचना मिलेगी। ग्राम पंचायत में समुदाय के सदस्य प्राप्त अनुदानों और कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई राशि के व्यय की





योजना तैयार करते हैं जिसे ग्राम सभा अनुमोदित करती है। इस तरह स्थानीय योजना द्वारा ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

मेरा यह मानना है कि जीपीडीपी की प्रक्रिया व्यापक होनी चाहिए, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाएं शामिल की जा सकें और राष्ट्रीय महत्व और जन कल्याण के विषयों पर फलैगशिप योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका तय की जा सके। स्थानीय लोकतंत्र और लोगों के नेतृत्व में विकास के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2018 तक जीपीडीपी बनाने के लिए ‘‘सबकी योजना सबका विकास’’ के तहत पूरे देश में जन योजना अभियान शुरू किया। जीपीडीपी के तहत, वर्ष 2019-20 की योजनाएं बनाने के लिए कई गतिविधियां संचालित की गईं। ‘‘जन योजना अभियान’’ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं को लागू करने का एक गहन और संरचित प्रयास है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतें साक्ष्य-आधारित योजनाएं तैयार करने के लिए मिशन अंत्योदय के तहत डेटा एक्ट्रा/नवीनीकृत कर रही हैं। जीपीडीपी की तैयारी हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जरूरी सहयोग और समन्वय करने के लिए ‘‘फेसिलिटेटर’’ नामित किया गया था। इस अभियान के दौरान ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने जीपीडीपी के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन की योजना बनाई। ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए गांव के प्रमुख स्थान पर एक सूचना बोर्ड भी स्थापित किया गया था, जिसमें योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्ज की गई। जीपीडीपी का निर्धारित प्रारूप तैयार करने और ग्राम सभा की मंजूरी के बाद अंतिम योजना को प्लान प्लस में अपलोड किया जाना अपेक्षित है। देश भर की ग्राम पंचायतें जीपीडीपी को सफलतापूर्वक तैयार और अपलोड कर रही हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सशक्त निगरानी और सलाह की आवश्यकता है क्योंकि किसी भी योजना के समग्र कार्यान्वयन

के लिए कई स्तरों पर अधिक निगरानी और परामर्श की ज़रूरत होती है। मुझे हर्ष है कि जीपीडीपी के प्रभावी निर्माण और कार्यान्वयन के लिए निगरानी और सलाह तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनसे स्थानीय योजना तथा विकास के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई ऑनलाइन उपाय भी लागू किए गये हैं। संसाधनों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने और योजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सरल बनाने के लिए प्लान प्लस एप्लिकेशन को विकसित और अपडेट किया गया है। मंत्रालय ने एक पोर्टल (gpdp.nic.in) बनाया है, जहां राज्य दिन-प्रतिदिन अपनी प्रगति को अपडेट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सभी राज्यों और अभियान के अन्य भागीदारों को तय समय-सीमा के भीतर जीपीडीपी की सफल भागीदारी के लिए बधाई देता हूं।

आज आर्थिक सुधार के दूसरे चरण का स्वागत करने का सही समय है, जहां संशोधित जीपीडीपी का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत योजना की गुणवत्ता मजबूत करना और इन पहलुओं को विकेन्द्रीकृत योजना प्रणाली में शामिल करना है। राज्य सरकारों को ग्रामीण योजनाओं की गुणवत्ता निर्धारित करनी चाहिए, जिससे एक मजबूत विकेन्द्रीकृत योजना तैयार की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एकीकृत और जमीनी स्तर पर योजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए सुशासन देने और ग्रामीण भारत को बदलने के लिए जीपीडीपी अपनानी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक पंचायत और राज्य सरकार को संविधान के दो उद्देश्यों - सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण - सुनिश्चित करने में पूरा साथ देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंचायतें सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हैं। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्र के विकास के लिए आपको हमारा निरंतर समर्थन मिलता रहेगा। ♦



जन योजना अभियानः सबकी योजना, सबका विकास

पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 तक “सबकी योजना सबका विकास” के रूप में जन योजना अभियान का संचालन किया। यह अभियान अगले वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए चलाया गया ताकि संरचनात्मक ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से साक्ष्य आधारित योजनाएं तैयार की जा सकें। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, जीपीडीपी नियोजन प्रक्रिया, व्यापक और भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण

समन्वय किया गया है। जीपीडीपी योजना प्रक्रिया का लक्ष्य ग्रामीण भारत में तीन परस्पर संबंधित आयामों में विद्यमान विकास चुनौतियों का समाधान करना है।

(क) आर्थिक आयामः गरीबी दूर करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। गरीब और कम आय वाले ग्रामीण परिवारों की क्षमता बढ़ाने और रोजगार के अवसर मुहैया कराते हुए देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया को लाभ पहुंचाना।

(ख) सामाजिक आयामः गरीब और कम आय वाले परिवारों और वंचित समूहों का सामाजिक विकास, सामाजिक सूचकांक में असमानताओं को दूर करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और कमज़ोर समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।


(ग) राजनीतिक आयामः महिलाओं और अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और कम आय वाले लोगों के लिए अवसर प्रदान करना, प्रभावी रूप से और समान रूप से ग्रामीण स्तर पर और उससे आगे पंचायत प्रक्रियाओं में भाग लेना।

बुनियादी ढांचे में सुधार, मानव विकास और लोगों की भलाई के लिए भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। यह देखा गया है कि कभी-कभी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में ताल-मेल की कमी रहती है और वे किसी तरह के एकीकरण पर ध्यान दिए बिना पृथक कार्यक्रम के रूप में लागू किए जाते हैं। नतीजतन, कई पंचायतों में व्यापक और समग्र दृष्टि के अभाव वाली योजनाएं बनाई जाती हैं। सबकी योजना सबका

जन योजना अभियानः सबकी योजना, सबका विकास

अभियान का क्षेत्रः 29 राज्य और 6 केन्द्र शासित प्रदेश

अवधि: 2 अक्टूबर-31 दिसम्बर 2018



विकास के नारे के साथ जन योजना अभियान के हिस्से के रूप में शुरू की गई जीपीडीपी योजना प्रक्रिया समावेशी, सहभागितापूर्ण और पारदर्शी है। अभियान के एक हिस्से के रूप में मिशन अंत्योदय (एमए) के दायरे में गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया गया। सर्वेक्षण के मानकों में बुनियादी ढांचे, मानव विकास और आर्थिक विकास शामिल हैं।

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण ग्राम पंचायतों के क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। यह जीपीडीपी योजनाओं की तैयारी के लिए आधार का कार्य करता है। इसके अलावा, ई-पंचायत कार्यक्रम के तहत प्लान प्लास एप्लिकेशन को भी मजबूत किया गया है। मिशन अंत्योदय अब ग्राम पंचायतों को बुनियादी डेटा के साथ ही पूर्ववर्ती आवादी से संबन्धित डेटा भी प्रदान करता है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/अनुदानों जैसे चौदहवें वित्त आयोग, मनरेगा, एनआरएलएम, एनएसएपी आदि के तहत ग्राम पंचायतों के लिए उपलब्ध संसाधनों की जानकारी भी दी जाती है। यह जीपीडीपी तैयारी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, जिससे योजना प्रणाली को व्यावहारिक आधार प्रदान किया जाता है। अभियान के प्रारंभ में प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के लिए राज्यों द्वारा एक सहयोगी (फैसिलिटेटर) नियुक्त किया गया था। फैसिलिटेटर के रूप में आम तौर पर समुदाय के ज्ञानवान् व्यक्ति अर्थात् कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षक, रोजगार सेवक या अधिकारियों सहित अन्य उपयुक्त व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त किए गए फैसिलिटेटर को

निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:

- (क) मिशन अंत्योदय के तहत मिशन अंत्योदय प्रारूप में विभिन्न मानदंडों के तहत सर्वे करना जो ग्राम सभा में भी मान्य हो।
- (ख) जीपीडीपी के लिए तय किये गए दिन ग्राम सभा का सहयोग करना।
- (ग) ग्राम सभा के दौरान अ.जा./अ.ज.जा./महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों सहित समाज के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। ग्राम संगठनों/एसएचजी की सहायता करना, ग्राम सभा के समक्ष गरीबी कम करने की योजना प्रस्तुत करना।
- (घ) जीपीडीपी पोर्टल पर ग्राम सभा के संचालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- (इ) मन्त्रालयों / विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के ग्राम सभाओं के दौरान भाग लेने के बारे में संयोजन और समन्वय करना।

विशेष ग्राम सभाओं के दौरान मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और अन्य आंकड़ों से पहचाने गए अंतर पर

चर्चा की गई उसका और सत्यापन किया गया। विभिन्न समुदायों के बीच अंतर को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया- अति महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता और बांछनीय। अंतर विश्लेषण, प्राथमिकता और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों ने जीपीडीपी तैयार की।

अभियान के हिस्से के रूप में सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए ग्राम पंचायतों ने प्रमुख स्थानों पर पिछली सूचना बोर्ड भी स्थापित किया, जिन पर ग्राम पंचायत में कार्यान्वयन की जा रही विभिन्न योजनाओं के बाद भौतिक और वित्तीय स्थिति में बदलाव और मिशन अंत्योदय के मापदंडों पर उभरते महत्वपूर्ण अंतर का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में ग्राम पंचायतें देश भर में गरीबी उन्मूलन और एकीकृत सतत विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्राम सभाएं धरातल पर सेवा वितरण एजेंटों का काम करती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत, विकास संकेतक प्रस्तुत करने में



महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत से अभाव और पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में कार्य को गतिशील बनाया जा सके। संस्थागत जीपीडीपी मिशन, अंत्योदय के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों को एक प्रभावी उपकरण प्रदान करेगा। इस प्रकार जन योजना अभियान ने पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जन योजना अभियान के विभिन्न मापदंडों पर राज्यवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।♦



जन योजना अभियान: समेकित राज्यवार स्थिति 11 जनवरी 2019

क्र. संख्या	राज्य	कुल ग्राम पंचायत/पारंपरिक संस्थाएं	ग्राम पंचायत के द्वारा निर्धारित फैसिलिटेटर्स		एम ए डाटा अपलोड		ग्राम सभा आयोजित		फैसिलिटेटर्स फैट्रैक रिपोर्ट		जीपीडीपी प्रमाणित फैसिलिटेटर्स रिपोर्ट		ग्राम पंचायत पी आई बी के 3न्वर्ग	
			नम्बर	%	नम्बर	%	नम्बर	%	नम्बर	%	नम्बर	%	नम्बर	%
	कुल	262184	252565	96%	240112	92%	232055	89%	147234	56%	142709	54%	132327	50%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	70	70	100%	70	100%	70	100%	70	100%	66	94%	70	100%
2	आनंद प्रदेश	12918	12765	99%	12903	100%	12595	97%	5399	42%	5332	41%	5593	43%
3	आस्थावाल प्रदेश	1795	1785	99%	1646	92%	1786	99%	1645	92%	1538	86%	705	39%
4	असम	2713	2521	93%	2642	97%	2473	91%	1051	39%	1026	38%	1684	62%
5	बिहार	8386	8228	98%	5085	61%	7197	86%	3261	39%	3107	37%	3193	38%
6	चार्झीगढ़	12	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12	100%	0	0%
7	छत्तीसगढ़	10978	10977	100%	11032	100%	10977	100%	10942	100%	10765	98%	10686	97%
8	दादरा एवं नगर हावेली	20	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	2	10%
9	दमन एवं दीव	15	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	15	100%	6	40%
10	गोवा	191	191	100%	193	101%	191	100%	188	98%	182	95%	168	88%
11	गुजरात	14292	14279	100%	13897	97%	14287	100%	10062	70%	9608	67%	6794	48%
12	हरियाणा	6204	6174	100%	5722	92%	6204	100%	6176	100%	6134	99%	5000	81%
13	हिमाचल प्रदेश	3226	3226	100%	3233	100%	3226	100%	3226	100%	3224	100%	2386	74%
14	जम्मू एवं कश्मीर	4204	4303	100%	4291	102%	1100	26%	34	1%	34	1%	161	4%
15	झारखण्ड	4383	4342	99%	3393	77%	4349	99%	2951	67%	2752	63%	2046	47%
16	कर्नाटक	6024	5999	100%	5988	99%	6013	100%	4794	80%	4610	77%	4798	80%
17	केरल	941	941	100%	135	14%	940	100%	940	100%	889	94%	900	96%
18	लकड़ीपी	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
19	मध्य प्रदेश	22824	22619	99%	22527	99%	19484	85%	9866	43%	9554	42%	12093	53%
20	महाराष्ट्र	27875	27789	100%	27862	100%	27850	100%	27408	98%	26919	97%	26313	94%
21	मणिपुर	3653	197	5%	929	25%	161	4%	145	4%	135	4%	62	2%
22	मेघालय	6746	3777	56%	3611	54%	1235	18%	531	8%	526	8%	472	7%
23	मिजोरम	914	616	67%	640	70%	603	66%	494	54%	485	53%	223	24%
24	नागालैंड	1219	1208	99%	1090	89%	1144	94%	985	81%	968	79%	998	82%
25	उडीसा	6798	6587	97%	3413	50%	2295	34%	36	1%	33	0%	149	2%
26	पुदुचेरी	98	98	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
27	ਪंਜाब	13069	13004	100%	12763	98%	12969	99%	8450	65%	7308	56%	5369	41%
28	राजस्थान	9892	9876	100%	9120	92%	9833	99%	7807	79%	7590	77%	8941	90%
29	सिक्किम	185	186	100%	185	100%	185	100%	185	100%	185	100%	185	100%
30	तमिलनाडु	12524	12525	100%	12542	100%	12524	100%	11565	92%	11419	91%	6982	56%
31	तेलंगाना	8684	7553	87%	6998	81%	1524	18%	47	1%	43	0%	19	0%
32	त्रिपुरा	1221	1174	96%	1155	95%	1175	96%	1133	93%	1118	92%	985	81%
33	उत्तर प्रदेश	58807	58487	99%	56194	96%	58614	100%	16999	29%	16447	28%	14522	25%
34	उत्तराखण्ड	7952	7784	98%	7600	96%	7774	98%	7602	96%	7573	95%	7676	97%
35	पश्चिम बंगाल	3341	3227	97%	3206	96%	3230	97%	3195	96%	3092	93%	3146	94%

पंचायतों को प्रोत्साहन

पंचायती राज मंत्रालय हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करता है, जिनका चयन एक निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस पुरस्कार से उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य पंचायतों के समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श कायम होता है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों को सम्मानित किए जाने से उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और यह ग्रामीण रूपांतरण में प्रेरक का काम करता है। ग्राम सभाएं पंचायतों के कार्य-निष्पादन की ओर लोगों का ध्यान केन्द्रित करती हैं, जिससे सभी पंचायतों को अपने काम-काज में सुधार लाने की प्रेरणा मिलती है। अंततः इससे स्थानीय स्तर पर सुशासन का माहौल बनता है।

दीन दियाल उपाध्याय पंचायत सशापितकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)

(जिला, मध्यवर्ती और ग्राम) राज्यों/



स्कूली बच्चों के लिए
आयोजित स्वच्छता शिविर

संघ राज्य क्षेत्रों में सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के वास्ते किए जाने वाले अच्छे काम को सम्मानित करने के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को डीडीयूपीएसपी पुरस्कार सामान्य और निम्नलिखित नौ विषयगत श्रेणियों के लिए दिए जाते हैं:

- स्वच्छता
- नागरिक सेवाएं (पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी ढांचा)
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
- उपेक्षित वर्गों की सेवा (महिला, अ.जा./अ.ज.जा., विकलांग, वरिष्ठ नागरिक)
- सामाजिक क्षेत्र में कार्य
- आपदा प्रबंधन
- ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही करने वाले सीबीओ/वॉलन्टियर
- राजस्व सूजन में नवाचार
- ई-गवर्नेंस

नानाजी देशमुख गैरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी)

यह पुरस्कार देश की ग्राम पंचायतों की सराहना करने एवं उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में शुरू

किया गया था।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, प्रभावी ग्राम सभाओं के माध्यम से, विशेष रूप से गांव के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार लाने के संबंध में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा की संस्था को मजबूत करना और लोगों की भागीदारी, सामूहिक निर्णयों और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए इसे संस्था के रूप में स्थापित करना है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार: यह योजना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए मानदंडों में सुधार और परिशोधन तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अपनाई गई एक सतत नीतिगत हस्तक्षेप है, इसीलिए जीपीडीपी पुरस्कार वर्ष 2017-18 के दौरान देश की तीन सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों (जीपी) को प्रदान किए जाने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य उन ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना था जिन्होंने अपनी जीपीडीपी को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया हो और वे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मॉडल दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

ई-पंचायत नाम का एक अन्य पुरस्कार उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिया जाता है जो अपने काम-काज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पीआरआई की ई-सक्षमता को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए पंचायतों और उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित

करना है, जिन्होंने ई-पंचायत अनुप्रयोगों को अपनाने और लागू करने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। पंचायतों और समकक्ष ग्रामीण निकायों के लिए सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सक्षम बनाया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विश्लेषण प्रदर्शन मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर किया जाता है।

पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान पंचायतों की योजना के प्रोत्साहन के तहत उपलब्धियां/प्रमुख पहले इस प्रकार हैं:-

- वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के दौरान डीडीयूपीएसपी और एनडीआरजीजीएसपी के तहत सम्मानित की गई पंचायतों की संख्या क्रमशः 219, 203, 209 और 212 थी।
- 24 अप्रैल 2018 को मंडला, मध्य प्रदेश में मनाए गए एनपीआरडी के अवसर पर, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए:
- i. 25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 191 पंचायतों (25 जिला पंचायत, 38 मध्यवर्ती पंचायत और 128 जीपी) को डीडीयूपीएसपी से नवाजा गया
- ii. ग्राम पंचायतों को मिले 128 पुरस्कारों में से, 39 विषयगत पुरस्कार स्वच्छता (21), राजस्व सूजन (9), ई-गवर्नेंस (4), समुदाय आधारित संगठन (1), उपेक्षित वर्गों में सुधार (2), सामाजिक क्षेत्र विकास (1) और नागरिक सेवाएं (1) की श्रेणी में दिए गए।
- iii. 21 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 21 ग्राम पंचायतों को एनडीआरजीजीएसपी



पंचायत में शौचालय का निर्माण



स्थानीय लोगों द्वारा प्लास्टिक कचरे का संग्रह



महिलाओं व बच्चों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर

- iv. जीपीडीपी पुरस्कार 3 ग्राम पंचायतों अर्थात्, पश्चिम बंगाल की दिगंबरपुर जीपी (रैंक-1), कर्नाटक की मलगी जीपी (रैंक-2) और सिक्किम की मनीराम फलीदारा जीपी इकाई (रैंक-3)
- v. ई-पंचायत पुरस्कार: 6 राज्यों सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा और कर्नाटक

पंचायत पुरस्कार -2018: सर्वश्रेष्ठ अभ्यास / सफलता की कहानियां

ગुજરात

नर्मदा जिला पंचायत (गुजरात) “स्वच्छता सेल्फी”

नर्मदा एक बड़ा जिला है जो 2755.36 वर्ग किमी. क्षेत्र में है। वहां कुल 1,22,174 परिवारों में लगभग 5,90,297 की आबादी है। इस ग्राम पंचायत का लिंगानुपात 987 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उल्लेखनीय है कि, नर्मदा गुजरात राज्य का पहला खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) जिला है। यह देश की तीसरी ओडीएफ पंचायत है। 20 अक्टूबर 2017 को इसे ओडीएफ घोषित किया गया। गहरी पैठ जमाए सामाजिक-मान्यताएं, दूरस्थ दुर्गम स्थान, पहाड़ी इलाकों और शौचालय के उपयोग के लिए आम आदमी के विरोध से संबंधित कई चुनौतियों के बावजूद, यह पंचायत अपने क्षेत्र को ओडीएफ बनाने के अपने प्रयासों में सफल रही। जिला प्रशासन ने पंचायतों के साथ समन्वय करते हुए निम्नांकित उपाय किए। (i) सेल्फी विद टॉयलेट; (ii) हाथ धोने का व्यापक अभियान; (iii) निगरानी समितियों का गठन (iv)

व्यापक जन सभाएं; (v) अधिकारियों द्वारा सुवह के समय निरीक्षण (vi) खुले में शौच के खिलाफ पैरवी करने के लिए डॉक्टरों द्वारा परामर्श; (vii) ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर खुले में शौच करने वालों के नाम लिखना; (viii) छात्रों के उपस्थिति / अनुपस्थिति रजिस्टर की तरह शौचालय के संदर्भ में भी उपयोग /गैर-उपयोग का रजिस्टर बनाना (xi) बड़ी संख्या में एक साथ शपथ लेना।

शौचालय रहित घरों की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक रोल कॉल का इस्तेमाल किया गया। जहां बच्चों से रोल कॉल के दौरान घरों में शौचालय की स्थिति के बारे में पूछताछ की जाती है। कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए यह बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका साबित हुआ। इस पहल का उद्देश्य स्कूल में बच्चों और अभिभावकों को खुले में शौच से बचने और बेहतर स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए उन्हें जागरूक बनाना और उनकी मानसिकता को बदलना था। रोल कॉल मॉडल ने शिक्षकों को शौचालय रहित घरों में शौचालय बनवाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मकानों का एक डेटाबेस तैयार करने में मदद की। “सेल्फी विद टॉयलेट” कार्यक्रम के तहत, सरकारी कार्यालय को बड़ी संख्या में सेल्फी प्राप्त हुई हैं। इससे उन लोगों को सम्मानित करने का नया विचार आया जो अपने घर में शौचालय के साथ एक सेल्फी लेंगे। ये सेल्फी जिला पंचायत की वेबसाइट पर दिखाई जाती हैं। इसका सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रभाव हुआ है। जिला पंचायत के कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिए गए हैं:

- शौचालय निर्माण के लिए

- परिवारवालों को प्रेरित करने और उनका समर्थन करने के मामले में ग्रामीणों का मन बदलना।
- कम साक्षरता और कठिन भौगोलिक स्थिति के साथ जनजातीय क्षेत्र होने के बावजूद लोगों की भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाना।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- बेहतर सामुदायिक भागीदारी के लिए बच्चों और शिक्षकों की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों के बीच सामूहिकता लाना तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता मजबूत करना।

ओडिशा

बौध ब्लॉक पंचायत

(बौध जिला, ओडिशा)

“छोटे हाथ, बड़ी बचत”

बौध ब्लॉक पंचायत में 1,39,531 लोगों की आबादी है जिसमें 28,851 मकान शामिल हैं। यह गांव 1,049 किलोमीटर के दायरे में है। इस ब्लॉक पंचायत का लिंग अनुपात 993 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस पंचायत को कृषि के साथ अच्छे बुनियादी ढांचे और समग्र आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। बौध ब्लॉक पंचायत इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्री-स्कूल के बच्चों की आदत में एक छोटा सा बदलाव बड़े सपनों और वित्तीय निर्णय लेने की नींव रख सकता है। बौध ब्लॉक पंचायत में 228 प्राथमिक स्कूल, 15 हाई स्कूल और 4 कॉलेज हैं। लेकिन दिलचस्प आकर्षण बच्चों को अपनी बचत को संग्रहीत करने



स्थानीय महिलाओं के द्वारा कचरे का नीस्तारण के लिए गुल्लक देने की अवधारणा के साथ प्री-स्कूल शिक्षा है।

धीरे-धीरे यह पद्धति सभी आंगनबाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में अपनाई जाने लगी है। कई बच्चों ने अपने मिट्टी के गुल्लकों को रंगों से सजाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यह उत्साहवर्धक बात है। इस अभियान में माता-पिता, एडब्ल्यूसी श्रमिकों और बड़े बच्चों का भरपूर समर्थन मिला। यहां गुल्लक के संग्रह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों द्वारा जमा की गई राशि को एक अलग खाते में रखा गया है और इस तरह से, विद्यालय- पूर्व (प्री-स्कूल) के बच्चों ने एक बड़ी राशि (2.00 लाख रुपये) की बचत किसी अन्य स्रोत से वित्तीय योगदान के बिना की है। यह पहल न केवल इस ब्लॉक तक सीमित है बल्कि इसने आस-पास के क्षेत्रों में भी अपनी जड़ें फैला ली हैं। इस अभ्यास ने बच्चों में जिम्मेदारी की भावना जगाई है। साथ ही बच्चों में बचत की अच्छी आदत भी विकसित की है। इस प्रकार से यह बच्चों में वित्तीय निर्णय लेने की समझ विकसित करता है। यह मॉडल आसानी से हर जगह अपनाया जा सकता है और देश भर के स्कूलों में यह अनूठी परंपरा दोहराई जानी चाहिए।



स्थानीय महिलाओं द्वारा कचरा निस्तारण

तमिलनाडु

सदयपलयम ग्राम पंचायत

(काला कुंडम, जिला तिरुप्पुर, तमिलनाडु)

“बड़े स्तर पर सेवा”

सदयपलयम बहुत बड़ी पंचायत है, जिसमें 2,714 परिवार हैं। इसकी आबादी 10,342 है। यह गांव 53.6 वर्ग किमी क्षेत्र में बसा है। इसका लिंगानुपात 977 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पंचायत सदस्यों की बैठकों और प्रशिक्षणों का नियमित संचालन और खातों का रखरखाव इस पंचायत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। सदयपलयम उन पंचायतों में से एक है जो अपने समग्र विकास के उद्देश्य पर केन्द्रित है। विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र के प्रति इसके प्रयासों को नीचे दिया गया है:

- इस गांव की पंचायत के विकास के एजेंडे में शिक्षा को प्रमुखता दी गई है।
- हाशिए पर पड़े वर्गों और स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रयास किए गए, विशेषकर एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों के बच्चों और विकलांग बच्चों को इसमें शामिल किया गया।

नीजतन, इस पंचायत के पास कोई ड्रॉप-आउट बच्चा नहीं है और उसने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में बच्चों का पूरा नामांकन सुनिश्चित किया गया है।

- पंचायत में विभिन्न बाल विकास गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।
- छात्रों को किताबें प्रदान करने के साथ-साथ प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों के लिए शाम को ट्यूशन भी पढ़ाई जाती है।
- छात्रों में उपहार वितरित करने के लिए विशेष दिन मनाया जाता है।
- छात्रों को नैपकिन प्रदान किए जाते हैं।
- छात्रों को खेल सामग्री वितरित की जाती है।
- छात्रों और महिलाओं को कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है।



स्वच्छता अभियान में प्रगति

- स्थायी समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
- स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए समुदायिक नेता सक्रिय रहते हैं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं।
- 100 फीसदी प्रसव अस्पतालों में कराए जाते हैं; पीएचसी में संस्थागत प्रसव के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- पांच बच्चों की कम वसा वाले पोषण की स्थिति में सुधार हुआ है; निरंतर उपचार के माध्यम से महामारी पर अंकुश लगा है; एनेमिक महिलाओं को पोषण आहार के प्रावधान के साथ ठीक किया जा रहा है।
- निर्वाचित प्रतिनिधि सक्रिय रूप से स्वास्थ्य पदाधिकारियों एडब्ल्यूडब्ल्यूआशा, एएनएम और डॉक्टरों, शिक्षकों, अभिभावकों, सीबीओ और स्वयं-सेवकों के प्रतिनिधित्व के साथ सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं।

इस ग्राम पंचायत ने सामूहिक प्रयासों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इनमें से एक सराहनीय, उल्लेखनीय व सकारात्मक परिणाम यह रहा कि महिलाओं को गहने बनाने, सिलाई और कढ़ाई आदि में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। उनके लिए अपने उत्पादों की बाजार में बिक्री आमदनी का अच्छा स्रोत बन गया। इस तरह समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में मदद मिली। ♦

चार साल की पहल और उपलब्धियां सतत आजीविका के साधन के रूप में मनरेगा का परिवर्तन

मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सामाजिक विषमताओं को कम करने और गरीबी उन्मूलन के साथ ही स्थायी और दीर्घकालिक विकास का समग्र आधार तैयार कर रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण भारत को एक अधिक उत्पादक, न्यायसंगत और समरस समाज में बदल रहा है। यह कार्यक्रम 691 ज़िलों, 6918 ब्लॉकों और 2.18 लाख ग्राम पंचायतों में चल रहा है। देश भर में 11.65 करोड़ सक्रिय मनरेगा कामगार हैं।

पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा को गरीबों के लिए स्थायी आजीविका के साधन में बदलने के लिए कई सुधार किए हैं। मनरेगा में बदलाव उन क्षेत्रों की पहचान करने के साथ शुरू हुआ, जिनमें तत्काल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि मनरेगा में कई प्रकार की कमियां थीं, व्यापक जांच से यह मालूम पड़ा कि मनरेगा के धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की व्यापक व्यवस्था के पूर्व ही धन पंचायतों तक पहुँच रहा था। यह तकनीकी योजना देश के कई हिस्सों में नदारद थी। इसी तरह बैंकों ने मनरेगा की मजदूरी का भुगतान तो शुरू कर दिया था, मगर इलेक्ट्रॉनिक



फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) को पूरी तरह लागू करने में लंबा रास्ता तय करना था। वर्ष 2014-15 में 15 दिनों के भीतर केवल 26.85 प्रतिशत मामलों में ही भुगतान किया गया था और उस वर्ष मुश्किल से 29.44 लाख कार्य पूरे हुए थे। जबकि देश के कई हिस्सों में यह योजना सफल रही थी, लेकिन एक प्रणाली के रूप में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की व्यवस्था नहीं थी।

राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के सहयोग से व्यवस्थित तरीके से इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। अब ये निरंतर प्रयास अपेक्षित परिणाम देने लगे हैं।

मनरेगा में परिवर्तन करने के बाद

मिले परिणामों का अनुमान नीचे दी गई तालिका से लगाया जा सकता है। इसमें वर्ष 2014-15 और 2017-18 से जुड़े निष्कर्षों को प्रदर्शित किया गया है:

पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता मजदूरी भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता लाने की थी। परिसंपत्ति निर्माण और काम में उपयोग होने वाली सामग्रियों के भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी जरूरी था। इन प्रयासों में मनरेगा परिसंपत्तियों की शत-प्रतिशत जियोटैर्गंग, बैंक खातों का आधार लिंकिंग, मजदूरी के भुगतान और सामग्री भुगतान के लिए आईटी / डीबीटी का उपयोग जैसे उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित कार्य

	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2017-18
मान्य दिन	166.21 करोड़	236.41 करोड़
पूर्ण कार्यों की संख्या	29.44 लाख	61.9 लाख
व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं	21.4%	66.7%*
धन की कुल उपलब्धता	37,588.03 करोड़	64,985 करोड़
केन्द्र द्वारा जारी धन	32,977 करोड़	63,644 करोड़
कुल व्यव्य eFMS द्वारा	77.35%	99.6%*
भुगतान 15 दिनों के अन्दर	26.85%	91.82%*

* वित्त वर्ष 2018-19 के लिए

मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित मुख्य एनआरएम सम्पद

क्रम	सम्पत्ति का प्रकार	1 अप्रैल 2014 से 8 जनवरी 2019 तक कार्य पूर्ण
1	तालाब	18,12,358
2	कुआं	1,92,372
3	चेक डैम	4,64,546
4	बांध	1,93,514

साक्षी है।

इन सबके बीच दीर्घकालिक निर्माण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। ग्राम पंचायत स्तर पर 60:40 अनुपात अनिवार्य था, जिसके कारण अक्सर गैर-उत्पादक परिसंपत्तियों का सुजन केवल इसलिए किया जाता था क्योंकि उस ग्राम पंचायत में अकुशल मजदूरी पर 60 प्रतिशत खर्च किया जाना था। 60:40 की व्यवस्था को प्रभावित किए बिना, पहला बड़ा सुधार ग्राम पंचायत स्तर के बजाय जिला स्तर पर 60:40 की अनुमति देना था। इस सुधार के बावजूद, समग्र व्यय में अकुशल मजदूरी पर व्यय का अनुपात 65 प्रतिशत से अधिक रहता है। इससे आय सुजन करने वाली टिकाऊ संपत्ति के निर्माण को बल मिला है। यह केवल उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण की अनुमति देता है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) पर 60 प्रतिशत से अधिक संसाधन खर्च होते हैं। एनआरएम खेती और फसलों की पैदावार दोनों क्षेत्रों में सुधार करके किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह भूमि की उत्पादकता में सुधार और पानी की उपलब्धता को बढ़ाकर किया जाता है। एनआरएम के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में चेक डैम, तालाब, पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण, भूमि विकास, तटबंध, फील्ड बंध, फील्ड चैनल, वृक्षारोपण आदि शामिल हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान इन कार्यों के माध्यम से 143 लाख हेक्टेयर भूमि को फायदा पहुंचा।

ऊपर तालिका में पिछले चार वर्षों में प्रमुख एनआरएम कार्यों की प्रगति दर्शाई गई है:

पिछले चार वर्षों में सामुदायिक

और व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर रहा है। बड़ी संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाएं जैसे बकरी शेड, डेयरी शेड, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 90-95 दिन काम करना, कुआं, खेत तालाब, वर्मी-कम्पोस्ट गड्ढे, सोख्ता गड्ढे आदि को भी पिछले 4 वर्षों में मनरेगा के तहत लिया गया है। इन परिसंपत्तियों ने वर्चितों तक वैकल्पिक स्थायी आजीविका पहुंचाने में मदद की है। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) का निर्माण दीर्घकालीन सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। आंगनवाड़ियां छोटे बच्चों की देखभाल और विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करती हैं जहां काम करने वाली माताएं अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जा सकती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ लगभग 1,11,000 आंगनवाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर स्वच्छ गांवों, अधिक आय और गरीबों हेतु विविध आजीविका सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यह सब ग्राम पंचायत के बजाय जिला स्तर पर 60:40 प्रतिशत की अनुमति देने से संभव हो रहा है। अकुशल मजदूरी के बारे में प्रतिबद्धता के बावजूद दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण में कमी नहीं आई है, जो आय सुजन और आजीविका में विविधता लाने वाली है।

आगे दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों में मनरेगा के तहत सामुदायिक और व्यक्तिगत लाभार्थी परिसंपत्तियों के निर्माण को दर्शाती है:

प्रत्येक वर्ष रोजगार के अधिक अवसरों के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर

योजना का प्रयास शुरू किया गया। इरादा यह था कि काम सार्वजनिक तौर पर दिखाई दे और लाभार्थियों को अपने सत्यापित खातों में भुगतान प्राप्त हो। 8 जनवरी, 2019 तक जियो मनरेगा 31 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है और 4.08 करोड़ पूर्ण कार्यों में से 3.40 करोड़ कार्य जियोटैग किए गए हैं। पहले सोशल ऑडिट बहुत सीमित था और इसके कार्यान्वयन को पूरे देश में विस्तारित करने की आवश्यकता थी। सोशल ऑडिटिंग मानकों को विकसित किया गया, प्रमाणित सोशल ऑडिटर्स को प्रशिक्षित किया गया, और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को भी ऑडिट का काम सिखाया गया।

तकनीकी दृष्टि से देखें तो जब जल-संरक्षण पर पैसा खर्च किया जा रहा था, उस समय जल संरक्षण के लिए काम कर रहे कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण अपर्याप्त था। उस दौरान जल संरक्षण के लिए कई संरचनाएं बनाई गईं, लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इस कारण मिशन जल संरक्षण दिशानिर्देशों को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा भू-संसाधन विभाग की भागीदारी में तैयार किया गया ताकि डाक्टर और ग्रे ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जहां भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। इस भागीदारी से हम इंजीनियरों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठा पाए। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक मजबूत तकनीकी मैनुअल बनाया जो मनरेगा कामगारों के क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू करने में सहायक रहा।

मनरेगा के लिए बजट आवंटन और धन जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वित्तीय वर्ष 2014-15 में 32,977 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,167 करोड़ हो गया। यह कार्यक्रम लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है। मनरेगा वर्ष 2017-18 में राज्य के हिस्सों सहित 63,644 करोड़ के रिकॉर्ड व्यय का



विशेष ध्यान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों में (2015-16 से लेकर 2018-19) तक औसत व्यक्ति दिन काम की मांग 235 करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक रही है और इस वर्ष भी कोई भिन्न नहीं है। इस संख्या की तुलना दूसरे वर्षों से बहुत अच्छी तरह की जा सकती है, केवल 2009-10 को छोड़ कर क्योंकि उस वर्ष सूखा पड़ा था।

सुधारों के कारण ही मनरेगा के तहत गरीबों के हित वाले आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण संभव हुआ। अगले कुछ महीनों में मनरेगा के माध्यम से 1 लाख से अधिक इमारतों का निर्माण

कार्य पूरा होने की आशा है। महिला स्वयं सहायता समूहों, दीनदयाल अन्त्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियों से मनरेगा के जुड़ाव ने अति गरीब घरों की आय में पूरक का काम किया है। मनरेगा श्रमिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने में दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशलम योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) के माध्यम से ग्रामीण राजमिस्त्री, तकनीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे गरीबी उन्मूलन में मदद मिली है। मंत्रालय का

मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत / सामुदायिक सम्पदा

क्रम	सम्पत्ति का प्रकार	1 अप्रैल 2014 से 8 जनवरी 2019 तक कार्य पूर्ण
1	आंगनवाड़ी केन्द्र *	37,936
2	कृषि तालाब	17,37,718
3	बकरियों के लिए शेड	1,12,341
4	मवेशियों के लिए शेड	5,12,398
5	वर्मी कम्पोस्ट **	9,99,918
6	सोखा **	4,21,941
7	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अन्य कार्य**	4,12,810
8	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व आईएवाई ***	1,36,26,834

* सामुदायिक सम्पदा

** सामुदायिक / व्यक्तिगत सम्पदा

*** दिनों की संख्या जिसके लिए मनरेगा अभियान लाभ भिन्न हो सकते हैं, जिसके कारण पूर्ण घरों का विन्यास भी भिन्न हो सकता है।

प्रयास है कि आने वाले वर्षों में गरीबों को कठिन शारीरिक श्रम से मुक्त कर और बेहतर कौशल प्रदान कर श्रेष्ठ आजीविका प्राप्त करने के योग्य बना दिया जाए।

आदर्श रूप में यदि मनरेगा स्थायी आजीविका बनाने के उद्देश्य में अच्छी तरह काम करता है, तो मनरेगा पर निर्भर रहने वाले परिवारों की संख्या में कमी आनी चाहिए। हमारे पास हर साल औसतन 5 करोड़ घरों में मनरेगा के तहत काम करने की मांग है। मनरेगा की सफलता का मापदंड यह होगा कि अकुशल मजदूरी पर निर्भर परिवारों की संख्या में कमी हो। हाल के वर्षों में मनरेगा ने विकलांगों और महिलाओं के लिए काम के अपने प्रावधान में सुधार किया है। अब श्रमिकों में आधे से अधिक संख्या महिलाओं की हैं और हर साल 4 लाख से अधिक विकलांगों को काम मिल रहा है।

यह सच है कि अक्सर काम की मांग बहुत अधिक होती है और इसके लिए अधिक धन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सड़क निर्माण, घर निर्माण जैसे अन्य विकास कार्य भी रोजगार पैदा करने में मदद देते हैं और काम की उपलब्धता को बढ़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पंचायतों को उनके लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) मजबूत बनाई जा रही है।

मंत्रालय गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और संसाधनों के उपयोग को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास कर रहा है। गरीबी से बाहर लाने के लिए आय के कई स्रोतों के साथ आजीविका के विविधांकण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्व-सहायता समूहों में 3 करोड़ से 6 करोड़ की वृद्धि इसी अवधि के दौरान हुई। इस दौरान रोजगार, टिकाऊ परिसंपत्तियों और स्थायी आजीविका देने के उद्देश्य से मनरेगा में समग्र सुधार किए गए। ♦

4 साल की पहल और उपलब्धियां दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का उद्देश्य गरीबों के लिए स्थायी सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करते हुए ग्रामीण गरीबी दूर करना है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 9 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें कौशल प्रदान करते हुए स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना है। इसके साथ ही उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त, अधिकारों और सेवाओं के औपचारिक स्रोतों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं का गहन और निरंतर क्षमता निर्माण उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान सुनिश्चित करेगा।

अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2018 के दौरान प्रगति

प्रमुख क्षेत्रों में मिशन की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- मिशन पदचिह्न:** इस अवधि के दौरान 2411 अतिरिक्त खंडों को ग्रहन रणनीति के अन्तर्गत शामिल किया गया। मिशन को 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 612 जिलों के 5,123 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है।
- सामुदायिक क्षमता निर्माण:** अप्रैल, 2014 स्वयं सहायता समूह का बकाया बैंक ऋण (रुपए करोड़ में)




2014 और नवंबर 2018 के दौरान देश भर में 26.9 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीएस) में 3 करोड़ से अधिक गरीब ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई हैं। वर्तमान में 5 करोड़ 63 लाख महिलाएं 49.7 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ी गई हैं। इन समूहों को 2.73 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय संघों और लगभग 25,093 क्लस्टर स्तर के संघों में संगठित किया गया है। इसके अलावा इन सामुदायिक संस्थानों को 5,919.71 करोड़ रुपये पूँजी के रूप में सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से उपरोक्त अवधि में लगभग 85 प्रतिशत (या 5030.7 करोड़ रुपये) प्रदान किए गए हैं।

3. **वित्तीय समावेशन:** स्वयं सहायता समूहों पर बकाया ऋण मार्च, 2014

में 32,565 करोड़ रुपये से बढ़कर अक्टूबर, 2018 में 76,591 करोड़ हो गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों से 1.96 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया। वर्तमान वर्ष में एनपीए में 2.64 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए, बैंक ऋणों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

4. **दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं:** इस दौरान वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए वैकल्पिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। आखिरी छोर तक वित्तीय सेवाएं देने के लिए लगभग 3050 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को बैंकिंग संवाददाता एजेंट (बीसीए) के रूप में तैनात किया गया है। जो धन को जमा करने, भेजने, पैसा निकालने, वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति का भुगतान, मनरेगा मजदूरी का भुगतान और बीमा और पेंशन योजनाओं के तहत नामांकन कर सकते हैं। नवंबर, 2018 तक 16 लाख से अधिक लेनदेन के कार्य में 185 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।





5. महिला किसान सशक्तिकरण योजना और मूल्य श्रृंखला पहल: इस योजना के तहत ऐसी कृषि-पारिस्थितिकी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है, जो महिलाओं की आय में वृद्धि करती है और उनकी लागत और जोखियों को कम करती है। अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2018 के दौरान एमकेएसपी परियोजना में लगभग 3 लाख अतिरिक्त महिला किसानों के साथ कुल 35.92 लाख महिला किसानों को जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के बाद से डीएवाई-एनआरएलएम के अन्तर्गत मूल्य श्रृंखला विकास के लिए इसे बाजार से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। पूर्ण व्यावसायिक मॉडल विकसित करने के विचार से प्राथमिक उत्पादकों का संगठन बना कर इसे आपूर्ति श्रृंखला समर्थन के समाधान के लिए बाजार से जोड़ने की योजना है। मिशन ने मूल्य श्रृंखला विकास कार्यों के तहत 2 लाख एसएचजी सदस्यों की सहायता करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में कृषि, पशुधन और वनोपज वस्तुएं सम्मिलित हैं। सब्जियों, फूलों की खेती, आम और अदरक, काजू, पहाड़ी ज्ञाहू, इमली, आंवला, बेल, सलाई गोंद और अन्य वनोपज उत्पादों, डेयरी, मत्स्य और बकरी को मूल्य श्रृंखला के विकास से जोड़ा जायेगा। ये प्रयास प्रोड्यूसर्स एंटरप्राइजेज के माध्यम से मूल्यवर्धन

और बाजार संपर्क विकसित करने पर केंद्रित हैं। अब तक 1.2 लाख स्वयं सहायता समूहों के सदस्य पहले ही इन प्रयासों के तहत जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा मिशन ने पिछले चार वर्षों के दौरान कई राज्यों में 7028 कस्टम हायरिंग सेंटर/कम्प्युनिटी मैनेज्ड ट्रूल बैंकों के विकास में भी सहयोग किया है। ये हायरिंग सेंटर छोटे और सीमांत किसानों को खेती उपकरण और अन्य सेवाओं जैसे मिट्टी परीक्षण, कोल्ड चेन प्रबंधन आदि को मामूली दरों पर किराए पर उपलब्ध कराते हैं।

6. सामुदायिक आजीविका पेशेवर: नीति अयोग द्वारा 2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार 1.99 लाख से अधिक सामुदायिक सदस्यों के प्रोफाइल को डिजिटल कर दिया गया है। सामुदायिक कार्यकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक संस्थानों की सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और तैनात किया गया है, जैसे कि पुस्तक लिखने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, वित्तीय सेवाएं आदि। इसमें 31,889 से अधिक सामुदायिक आजीविका संसाधन कार्यकर्ता शामिल हैं, जैसे- कृषि सखी और पशु सखी। जो डेयरी किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों को चौबीस घंटे घर आकर सेवाएं प्रदान करते हैं।

7. स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम: डीएवाई-एनआरएलएम एसवीईपी को बढ़ावा दे रहा है और

गैर-कृषि और कृषि क्षेत्र में ग्रामीण स्टार्ट-अप को मजबूत कर रहा है। यह व्यापार कुशलता और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ाने की रणनीति है, और इसका लक्ष्य मौजूदा उद्यम के साथ-साथ स्टार्ट-अप के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह 2016-17 से 17 राज्यों में लागू किया गया है, 30 नवंबर 2018 तक एसवीईपी के तहत लगभग 30,352 उद्यमों की सहायता की गई है।

8. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना: दूरस्थ ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवा अगस्त, 2017 में शुरू की गई थी। नवंबर 2018 तक, 17 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और वर्तमान में 624 वाहन सड़क पर चल रहे हैं।

9. दीनदयाल अंत्योदय योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का स्वतंत्र मूल्यांकन जनवरी से मार्च 2017 के दौरान, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) ने किया। इसने डीएवाई-एनआरएलएम के डिजाइन, रणनीति और प्रभावों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के लिए नमूने के तौर पर 746 गांवों के लगभग 4500 घरों से जानकारी ली गई। सर्वेक्षण के परिणामों से संकेत मिलता है कि योजना लागू होने वाले क्षेत्रों में-

- नियंत्रण क्षेत्रों की तुलना में पशुधन की संख्या बढ़ी है।
- औपचारिक संस्थानों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।
- औपचारिक संस्थाओं से बड़े ऋण लेने की शुरुआत हुई है। एनआरएलएम परिवार ब्याज की कम दर का भुगतान करते हैं।
- नियंत्रण क्षेत्रों के घरों की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक (शुद्ध) आय है।
- ग्राम पंचायत में अधिक भाग लेते हैं। ♦

महिला विकास साग सब्जी सहकारी समिति

किसानों की मदद के लिए हो रहा अभिनव प्रयास

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बस्तर भारत के जनजातीय बहुल जिलों में से एक है। यहां लोगों के पास जमीनें कम हैं। आमतौर पर एक किसान के पास दो से पांच एकड़ तक ही जमीन है। इस इलाके में मुख्य रूप से धान, मक्का और सब्जियों की फसल उगाई जाती है। पैदावार बहुत कम है और इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इस स्थिति को देखते हुए यहां किसानों की सहायता के लिए 'महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना' (एमकेएसपी) शुरू की गई है ताकि उन्हें अपने खेतों में उत्पादित सब्जियों का वाजिब दाम मिल सके। इसके तहत दो सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसमें बकवंद ब्लाक की महिला किसानों को शामिल किया गया है। सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और उन्हें उचित दाम पर बेचने के लिए यह पहल की गई है। इसका मुख्य



उद्देश्य कीमत की वसूली बढ़ा कर किसानों को इस बात के लिए सक्षम बनाना है कि वे लाभ के एक हिस्से की बचत कर सकें। इस व्यवस्था में बिचौलियों (कोविचायास) की भूमिका समाप्त हो जाएगी और किसानों का उपभोक्ताओं से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। वे सीधे अपनी वस्तुएं जनता को बेच सकेंगे।

1. समिति बनाने का मकसद

क- संभावनाओं का आकलन: गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी सब्जियों की खपत बढ़ रही है। इसके अलावा लोग आर्गेनिक या कीटनाशक रहित सब्जियों को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि खाद्य पदार्थों की क्वालिटी एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ख- व्यवसाय बढ़ाने की उम्मीद: बस्तर में उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए नजदीकी बाजार जगदलपुर है। यहां उत्पादक किसान अपनी उपज की आपूर्ति करते हैं। जगदलपुर शहर में संजय मार्केट काफी लोकप्रिय है जहां लोग सब्जियां

खरीदने आते हैं। मगर शहर में अभी तक खुदरा बिक्री की कोई आधुनिक व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि शहर में रिटेल स्टोर के माध्यम से सब्जियों की आपूर्ति की अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। यह विचार भी आया कि मौजूदा बाजार की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं मुहैया कराके किसानों एवं उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सकता है। आर्गेनिक या रसायन मुक्त सब्जियों से जनता को स्वस्थ भोजन भी उपलब्ध होगा।

शहर और इसके आस-पड़ोस में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास के काम हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, एनएमडीसी, जगदलपुर के निकट बड़े पैमाने पर ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट की स्थापना कर रहा है। इससे वहां बड़ी आबादी वाले एक ऐसे शहर का निर्माण होगा जिसे भारी मात्रा में सब्जियों की जरूरत पड़ेगी।

ग- सदस्यों को लाभ एवं प्रभाव: इस व्यवस्था में किसानों का वह पैसा बचेगा जो बिचौलियों





को जाता था। सब्जियों की बिक्री के बाद किसानों को यह मुनाफा या तो उन्हें सीधे भेज दिया जाएगा अथवा सहकारी समिति अपने पास रख लेगी और बाद में उन्हें वितरित कर देगी। 'किसान बाजार' बन जाने के बाद किसान सदस्यों द्वारा उत्पादित सब्जियों के लिए एक वैकल्पिक बाजार उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इस तरह किसानों को बिचौलियों के साथ मूल्य तय करते समय कुछ हद तक मोल-भाव करने का अधिकार भी मिल जाएगा। इस बाजार का एक लाभ यह होगा कि किसानों को अपनी सब्जियों का मूल्य तुरन्त मिल जाएगा। यह व्यवस्था आजकल की उस बिक्री प्रणाली से अलग है जिसमें बिचौलिए फायदा उठा लेते हैं।

2. व्यवसाय का विवरण

क- संचालन का क्षेत्र: इस व्यवसाय का मुख्य केन्द्र बिन्दु 'हरिहर बाजार' के नाम से स्थापित किसान बाजार है। यह जगदलपुर के सबसे मुख्य इलाके में स्थित है। इस मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक रिटेल स्टोर, गोदाम और एक शीत गृह है।

दो किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सब्जी उगाने वाले गांव बाजार से 30 किलोमीटर के दूररे में हैं। महिला विकास साग सब्जी सहकारी समिति (एमवीएसएसएस) इन दो संगठनों में से एक है। यह समिति हरिहर बाजार के प्रबंधन का काम करती है। दूसरे एफपीओ का नाम 'नई दिशा साग सब्जी सहकारी समिति' (एनडीएसएसएस) है। यह समिति भी इस बाजार के संचालन में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।

ख- संचालन का तरीका: इस बाजार को चलाने का उद्देश्य सब्जियों के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन व्यवस्था स्थापित करना और सब्जी उत्पादन एवं इसके विपणन के प्रत्येक स्तर पर लागत निकालना है।

ग- इनपुट्स: पर्याप्त मात्रा में उत्पादन लागत घटाने और लंबे समय



तक इसे बनाए रखने के लिए आर्गेनिक खाद तथा कीटनाशकों (हांडीखाटा एवं जीबास्ता) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला किसानों को आर्गेनिक खाद एवं कीटनाशक बनाने के लिए सामान (किट्स) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां तक बीज का सवाल है तो किसान इसे स्वयं खरीदते हैं। किसानों को अपने बचाए हुए बीज ही इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आमतौर पर किसान सब्जियां उगाने के लिए लोकप्रिय हाइब्रिड बीज खरीदने को तरजीह देते हैं।

घ- उत्पादन: महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) की टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए कृषि सहयोग से किसान अपना खेत तैयार करके सब्जियां उपजाते हैं। विषेशज्ञों की मदद से अच्छी किस्म की सब्जियों की उपज में वृद्धि भी हो रही है। एमकेएसपी प्रोजेक्ट के तहत पंचायतों एवं समुदायों के साधन सम्पत्ति लोगों के माध्यम से किसानों को सहायता दिलाई जाती है।

च- फसल की कटाई और बिक्री: फसल तैयार हो जाने के बाद किसान उसे काटते हैं। इसके बाद प्रारंभिक तौर पर उसे साफ करके बाजार में सप्लाई के लिए भेजा जाता है।

छ- सब्जियों का एकत्रीकरण:

हरिहर बाजार का प्रबंधन यह तय करता है कि कौन सी सब्जियां और इनकी कितनी मात्रा अगले दिन के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके बाद वह अपने कोआर्डिनेटर से उन सब्जियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। कोआर्डिनेटर इसके लिए सदस्य किसानों से संपर्क करते हैं। वे सब्जियां एकत्र करके बाजार में बिकने वाले दिन से एक शाम पहले अपने घर रख लेते हैं। सदस्य किसान सबसे पहले हरिहर बाजार द्वारा मांगी गई सप्लाई को पूरा करते हैं। इसके बाद बचा हुआ माल वे संजय मार्केट या किसी अन्य बिचौलिए को देते हैं।

ज- परिवहन: सब्जियों को लाने-ले जाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को एक मिनी ट्रक मुहैया कराई गई है। कोआर्डिनेटर द्वारा एकत्र की गई सब्जियों को महिला किसान या उनके परिवार के सदस्य ट्रक पर लादते हैं। इस तरह सुबह ही इसे हरिहर बाजार पहुंचाया जाता है। गांव से सुबह 7-8 बजे चल कर 9-10 बजे के लगभग ट्रक बाजार तक पहुंचता है। इसके बाद हरिहर बाजार में सब्जियां उतार कर स्टोर में बेचने के लिए रख दी जाती हैं। ट्रक पहुंचने के बाद किसान खुद सारा सामान उतारते हैं और रिकॉर्ड के लिए इसकी तौल कराई जाती है। वजन कराने के बाद सब्जियों को बेचने के



लिए स्टोर में व्यवस्थित ढंग से रख दिया जाता है।

झ- बिक्री: इसके बाद बाजार में सब्जियों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। यह काम शाम 7 बजे तक चलता है। अन्य दिनों की तुलना में सप्ताह के अखिरी दिनों में बिक्री ज्यादा होती है। जो माल शेष रह जाता है उसे एकत्रित करके गोदाम अथवा शीत गृह में रख देते हैं। इसे अगले दिन फिर बेचने के लिए लाया जाता है।

3. सदस्यों को मूल्य का भुगतान

सुबह जब बाजार शुरू होता है तब संजय मार्केट की अपेक्षा यहां कीमत थोड़ी अधिक रहती है। आर्गेनिक सब्जियों की वजह से दाम ऊंचा रहता है। मगर जब अनुमान के अनुरूप स्टाक से माल नहीं निकल पाता तब कुछ दूसरे उपाय करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय बाजार को देखते हुए सब्जियों का प्रतिस्पर्धी मूल्य तय किया जाता है। ऐसा करने से किसानों को काफी मदद मिलती है। किसानों को आम तौर पर बाजार मूल्य से एक रुपये अधिक का भुगतान होता है। स्थानीय बाजार में व्यापारियों को दिए जाने वाले मूल्य की तुलना में किसान फायदे में ही रहते हैं। लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां दिन के अंत में यानी उसी दिन भुगतान कर दिया जाता है।

4. आईटी सिस्टम

इस पूरे व्यवसाय में आईटी



सिस्टम अपनाने की योजना है पर, यह काम अभी है। समिति के सदस्य आपस में बातचीत के लिए स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करते हैं। वायस कॉल या एसएमएस के जरिये वे आपस में संवाद रखते हैं।

5. संभावनाएं और लाभप्रदता

हरिहर बाजार से सब्जियों के लिए आने वाली मांग पर ही इस विजनेस मॉडल की सफलता निर्भर करती है। जब तक वहां उपभोक्ता सब्जियां खरीदेंगे, तब तक किसानों का भला होता रहेगा। तभी यह मॉडल खुद को लंबे समय तक कायम रख सकेगा। एफपीओ भविष्य में कुछ और उत्पादों को इसमें शामिल करने की सोच रहा है। इससे जहां कारोबार और बढ़ेगा, वहीं जोखिम भी कम होगा क्योंकि यदि किसी एक चीज में घाटा हो गया तो दूसरा विकल्प मौजूद रहेगा।

6. व्यवसाय की रणनीति एवं योजना

हमारी वर्तमान रणनीति यह है कि 'हरिहर बाजार' का कारोबार अधिक से अधिक बढ़े। शहर में इस तरह के और बाजार खोलने की योजना भी चल रही है। भविष्य में होम डिलीवरी एवं अन्य बाजारों को सब्जियां सप्लाई करने का काम भी होगा। बस्तर सेवक मंडल (बीएसएम) के सहयोग से अगले दो साल के लिए व्यवसाय की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है।

7. राजस्व का ग्राउंड

सब्जियों को बेचने से प्राप्त होने वाली आय ही अभी तक राजस्व का मुख्य माध्यम है। मगर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भविष्य में कुछ और उत्पाद भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अन्य एफपीओ के माध्यम से उन्होंने बाजरा आधारित उत्पाद बेचना पहले ही शुरू कर दिया है। सब्जियों की बिक्री से अनुमानित कुल आय तकरीबन 20 प्रतिशत है, लेकिन खर्च निकालने के बाद शुद्ध आय काफी कम रह जाती है।

8. वित्त व्यवस्था

यद्यपि समिति के हर किसान सदस्य से सदस्यता शुल्क के रूप में 125 रुपये वसूले जाते हैं लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, हम स्टेट रूरल लाइबलिहुड मिशन (एसआरएलएम) का सहयोग लेते हैं। इसके अलावा नाबार्ड की मदद भी मिलती है। कारोबार बढ़ाने के लिए एमकेएसपी प्रोग्राम के तहत एसआरएलएम ने 22500 रुपये की धनराशि मंजूर की है। उधर, नाबार्ड ने कार्यशील पूँजी के रूप में एफपीओ को 25000 रुपये की सहायता दी है। हरिहर बाजार की स्थापना, शीत गृह बनाने, फर्नीचर और सामान पहुंचाने के लिए वाहन खरीदने के लिए एफपीओ को एसआरएलएम और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (डीएमएफ) से निवेश अनुदान प्राप्त हुआ है। ♦



प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)



अप्रैल 2014 से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1.37 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों की मदद से वर्ष 2014 से लेकर अब तक 1.37 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है। ये आंकड़े जीओ टैग किए गए चित्रों से तैयार किए गए हैं, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है-

वर्ष	ग्रामीण आवास निर्माण (आईएवाई+पीएमएवाई-जी)
2014-15	11.91
2015-16	18.22
2016-17	32.23
2017-18	44.54
2018-19	30.31
(अब तक) (31 मार्च, 2019 तक 65 लाख मकान बनने की संभावना)	
कुल मकान निर्माण	1.37 करोड़ (संख्या लाखों में)

बेहतर कार्यान्वयन, पुख्ता निगरानी के साथ मकानों की मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को की थी। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और मनरेगा के बीच सामन्जस्य बिठाने व योजनाओं को प्रभावी तरीके से संचालित करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) महत्वपूर्ण सांबित हो रही है। इस योजना के तहत मकानों के बेहतर डिजाइन,



स्थानीय भवन निर्माण सामग्री और प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मदद से लाभार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण मकान मुहैया कराए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रमीण के तहत वर्ष 2016-2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के पहले चरण यानी वर्ष 2016-2019 तक एक करोड़ मकान का निर्माण किया जाना है और शेष 1.95 करोड़ मकान दूसरे चरण में यानी वर्ष 2016-2022 के दौरान बनाए जाएंगे। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधारित जनगणना 2011 का सत्यापन करते हुए ग्राम सभा ने स्थाई प्रतिक्षा सूची तैयार की। पहले चरण में इस सूची में छूट जाने वाले लाभार्थियों को भी अपना नाम जोड़ने के लिए 30.11.2018 तक का समय दिया गया। इसके लिए मंत्रालय ने गांव में कैंप लगाए ताकि लाभार्थी अपने जरूरी कागजों के साथ पहचान पत्र आवास

प्लस नामक सॉफ्टवेयर में दर्ज करा सकें।

लाभार्थियों द्वारा कराए गए पंजीकरण, जीओ टैगिंग एवं बैंक अकाउंट के सत्यापन के बाद योजना के पहले चरण का काम वित्तीय वर्ष 2017-18 में शुरू हुआ। योजना के शुरूआती 28 महीने बाद 68.97 लाख मकान बन कर तैयार हो चुके हैं और बाकी मकान मार्च 2019 तक तैयार हो जाएंगे। एनआईपीएफपी के अध्ययन के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों के निर्माण कार्य के समय में सुधार हुआ है। साल 2015-16 में मकान निर्माण में लगभग 314 दिन लग जाया करते थे, परन्तु वर्ष 2017-18 में ये समय घटकर मात्र 114 दिन रह गया। यानी मकान निर्माण में दोगुनी तेजी से काम हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को पूरा भरोसा है कि वे राज्य सरकार के सहयोग से तथ्य समय में ज्यादा से ज्यादा मकान तैयार



कर लेंगे। इस दिशा में बिहार और असम में भी काम तेजी से कराया जा रहा है ताकि पहले चरण का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। इस प्रकार कार्यक्रम के पहले चरण में एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मुख्य विशेषताएँ:

लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रूपये और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रूपये शौचालय निर्माण के लिए दिए जाते हैं। जो लाभार्थी स्वयं मकान का निर्माण कर रहे हैं उन्हें मनरेगा के तहत मैदानी इलाकों में 90 दिन और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में 95 दिन की रोजगार गरंटी भी दी जा रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उच्चला योजना के तहत गैस कनेक्शन और बिजली भी मुहैया कराई जा रही है।

पीएमएवाई-जी के तहत बनाए जाने वाले मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर है जिसमें स्वच्छ रसोई के लिए भी प्रावधान है। आवास योजना को 100 फीसदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डीबीटी) मोड में लागू किया गया है जिससे लाभार्थियों को दिए जाने वाली राशि सीधे बैंक खातों में जमा हो सके। योजना को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की मदद व स्थानीय उपलब्ध निर्माण सामाग्री से गुणवत्तापूर्ण मकान तैयार किए जा रहे हैं।

पीएमएवाई-जी की उपलब्धियाँ:

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मार्च 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। साल 2017-2019 तक आवास सॉफ्ट में 112.48 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है।

-102.26 लाख मकानों का जीओ टैगिंग किया गया है।
-95.38 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति मिल चुकी है।
इसमें 93.12 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत पहली किश्त का लाभ मिल चुका है। दूसरी किश्त का लाभ 83.29 लाख लाभार्थियों को प्राप्त हो चुका है। 68.97 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बेहतर हुई गरीब ग्रामीणों की जिंदगी

दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। घर के सपने को साकार करता पीएमएवाई-जी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत बनाए गए मकान दरअसल घर हैं, जिसकी चारदीवारी के भीतर सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली, पानी मुहैया कराई जा रही हैं। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए उनके घर का सपना साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है।

पीएमएवाई-जी: लाभार्थियों द्वारा, लाभार्थियों के लिए, लाभार्थियों का।

पीएमएवाई-जी के तहत मंजूर किए मकानों का निर्माण दरअसल लाभार्थियों द्वारा ही किया जा रहा है। अपनी इच्छा के अनुरूप बनाए गए उस मकान के बे ही मालिक होते हैं।

पीएमएवाई-जी के प्रशिक्षण का लाभार्थियों को प्रशिक्षण

लाभार्थियों को वैज्ञानिक रूप से बेहतर, मजबूत मकान बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार राजमिस्त्री को कुशल बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए लोगों का चयन करती है। इसके साथ मकान के निर्माण के लिए योजना के तहत दी जाने वाली पहली किश्त भी तुरंत जारी की जाती है।

नेशनल स्किल डेवलमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) द्वारा राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक फरवरी 2019 तक कुल 51,229 लोगों ने अपना नाम प्रशिक्षण के लिए दर्ज करवाया है जिसमें से 38,194 से संपर्क साधा गया और 31,530 लोगों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। योजना के तहत तथ मानकों के आधार पर लाभार्थियों को स्वयं के बनाए मकानों के नक्शों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्माण कार्यों पर नियमित रूप से निगरानी





सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को निर्माणाधीन मकान की तीन स्टेज पर फोटों अपलोड करने को कहा गया है। निर्माण काम में तेजी लाने के लिए योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली सहयोग राशि का समय पर भुगतान किया जा रहा है जिससे निर्माण समय में रिकॉर्ड कमी आई है। निर्माण समय 314 दिनों से घटकर 114 दिन हो गया है। इसके साथ मंत्रालय ने पहल योजना की शुरूआत की है जिसके तहत 108 टाइपोलॉजी को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली निर्माण तकनीक का विवरण तैयार किया गया है। इस विवरण में मकान निर्माण की लागत कम करने, मौसम व प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर तकनीकी का इस्तेमाल व सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है।

ग्रामीण गरीबों की जिंदगी में आया बदलाव—सफलता की कहानियाँ

ब्रिज लाल नेतम, (पीएमएवाई-जी पहचान संख्या सी एच 1007052)



छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला के बड़ेराजपुर ब्लॉक के बड़ा गांव पंचायत के निवासी हैं ब्रिज लाल नेतम। वे जन्म से नेत्रहीन हैं। इन्हें नाक से बांसुरी बजाने में महारत हासिल है जो इनकी आजीविका भी है। इनकी कमाई इतनी नहीं है जिससे वे अपने लिए पक्का घर बना सके। इनकी विशेषता को देखते हुए पीएमएवाई-जी के तहत श्री ब्रिज लाल के लिए आवास स्वीकृत किया गया। इनका मकान रुरल मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम के निर्देशों के तहत बनाया गया।

कल्पना पेगू (आईडी-एएसआई-1427119),
चिला-कोला पंचायत, मजौली जिला, असम।

असम के मजौली जिले में बहने वाली मजौली व ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यह क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसी जिले में रहती है लाभार्थी कल्पना पेगू। इस क्षेत्र



की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की मदद से मकान का डिजाइन चांग घर तैयार किया जो कि इस क्षेत्र के लिए मुफीद है। इस डिजाइन के घरों को बनवाने की दिशा में राज्य सरकार ने सक्रियता से काम किया है। चांग घर लकड़ी की बल्लियों पर बनाया जाता है जिसमें एक रसोईघर के साथ बड़ा हॉल होता है। जिसमें एक परिवार आसानी से गुजरबसर कर सकता है। चांग घर के निचले भाग का इस्तेमाल पशुओं को रखने के लिए किया जाता है। इसके साथ इस भाग का इस्तेमाल बुनकर पारंपरिक हथकरघा व्यवसाय के लिए भी कर रहे हैं। ♦

आदर्श ग्राम हेवारी बाजार



प्रेरणादायक सफलता की कहानियाँ आरावली



डीडीयू-जेकेवाई: सपनों को साकार



पीएमएवाई जी- 3सम गावं विकास की ओर



सफलता की कहानियाँ बांदीदीह ग्राम पंचायत





गंगा स्वच्छता सम्मेलन 2018

पांच राज्यों उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों की 1,662 ग्राम पंचायतों के 4,465 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। इस पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की लंबाई 2,510 किलोमीटर है। खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र घोषित होने के बाद यहां ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन, वृक्षारोपण और स्थानीय स्तर पर सतत विकास से संबंधित गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा सभी गंगा राज्यों में समुदाय से संबंधित कुछ गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं।

गंगा ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्री, सुश्री उमा भारती ने गंगा स्वच्छता सम्मेलन के आयोजन का निर्देश दिया था। शुरू में 5 नमामि गंगे राज्यों के

सभी 52 जिलों में सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। हालांकि, गंगा स्वच्छता सम्मेलन को और अधिक मजबूत और जन-आनंदोलन बनाने पर जोर दिया गया। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया कि सम्मेलन का आयोजन पांच स्थानों पर किया जाएगा। इसके बाद गंगा स्वच्छता सम्मेलन झारखण्ड में साहिबगंज, बिहार में बस्तर, उत्तर प्रदेश में कन्नौज और बिहूर तथा नवंबर, 2018 में उत्तराखण्ड के श्रीनगर में आयोजित किया गया।

तत्संबंधी ब्लौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन के दौरान केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री, सुश्री उमा भारती ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की कि उन्हें स्वच्छता मानकों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने

की आवश्यकता है, जिससे गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। सभी स्थानों पर आयोजित समारोह में 5000 से 8000 स्वच्छाप्राप्तियों, गंगा स्वयंसेवकों, युवा संगठन के सदस्यों, छात्रों और जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया। मंत्री ने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की सफलता में सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर भी प्रकाश डाला। चार राज्यों में स्वच्छता कवरेज हासिल करने के लिए किए गए अनुकरणीय प्रयासों के लिए उन्होंने जिला और राज्य प्रशासन को बधाई दी। सम्मेलन में संबंधित राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव, महानिदेशक-विशेष परियोजना, संयुक्त सचिव और आईसी निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन के सचिव भी उपस्थित थे। ♦



राज्य	सम्मेलन स्थल	सम्मेलन की तारीख
झारखण्ड	साहिबगंज	3 नवंबर
बिहार	बक्सर	4 नवंबर
उत्तर प्रदेश	कन्नौज	16 नवंबर
उत्तर प्रदेश	बिहूर	17 नवंबर
उत्तराखण्ड	श्रीनगर	23 नवंबर



स्वच्छता मंत्रालय की सफलता की जीवंत कहानियां



गंजम, ओडिशा जिला प्रशासन ने झाड़ा नूहन झोटी अभियान की शुरुआत की

ओडिशा

झाड़ा नूहन झोटी अभियान ने बदली गांव की सूरत

ओडिशा के गंजम जिला प्रशासन ने एक अनूठे अभियान झाड़ा नूहन झोटी (खुले में शौच न करो, बल्कि खाली स्थानों को रंगोली से सजाओ) की शुरुआत उन क्षेत्रों में की, जहाँ खुले में शौच करने की कुप्रवृत्ति सबसे अधिक थी। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ गंजम सैल्यूट (एक ऐसी प्रथा जिसमें सुबह और शाम में खुले में शौच जाने वालों को गुजरते हुए वाहन की रोशनी आने के साथ ही उठने की मजबूरी) को भी खत्म करना है।

यह अभियान 9 नवंबर से 19 नवंबर 2018 तक चलाया गया। जिला मजिस्ट्रेट श्री विजय अमृता कुलंगे, परियोजना निदेशक श्री सिद्धार्थ शंकर स्वेन, जिला व ब्लॉक अधिकारी, क्षेत्र के विद्यालयों, ओडिशा आजीविका मिशन, संपत्ति व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों ने इसे सफल बनाया।

इस अभियान के तहत खुले में शौच

करने वाले स्थानों को रंगोली से सजाया गया व वहाँ तुलसी और पुदीने के पौधे लगाए गए। इसके साथ उन स्थानों पर बच्चों और महिलाओं के लिए रंगोली और झोटी (चावल के आटे से रंगोली बनाने की एक पारंपरिक कला) बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता आयोजन समारोह में गंजम जिला दंड अधिकारी श्री विजय अमृता कुलंगे ने लोगों को शौचालय के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सलाह दी और पुरानी प्रथा को तुरंत बंद करने पर



जोर दिया। इस अभियान के तहत सुबह सुबह परिमल घंटा नाड़ा यानी पारंपरिक वाद्यांत्र को बजाते हुए स्वच्छता रैली निकाली गई। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बात की और खुले में शौच जाने की प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में बताया और झाड़ा नूहन झोटी अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अभियान से बच्चों को भी जोड़ा गया। बच्चे प्रत्येक दिन गांव के खेतों का सर्वे कर खुले में शौच के मामलों पर रिपोर्ट तैयार करते और गांव की पंचायत को अवगत कराते। इसके साथ जागरूकता संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की 'स्वास्थ्य कांथा दीवार' का भी सहारा लिया। इस दीवार पर स्वच्छता की अहमियत के संदेश लिखवाए गए, ताकि लोग जब भी इस तरफ से गुजरें उनकी नजरें स्वच्छा के संदेशों पर जरूर पड़े। यह दीवार लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करती रहेगी।

मेघालय

कोल्ड ड्रिंक व पानी की प्लास्टिक की बोतलों से तैयार किया शौचालय

मेघालय के पश्चिमी गारो की पहाड़ियों में प्लास्टिक की खाली बोतलों से शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। जी हाँ इस अनूठी पहल की चर्चा हर तरफ हो रही है क्योंकि कूड़ा माने जाने वाले खाली प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल सृजनात्मक तरीके से किया जा रहा है। प्रशासन की इस योजना के तहत प्लास्टिक की खाली बोतलों से टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह के शौचालय कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं व इनकी देख रेख स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण स्वच्छता कमेटी के हाथों में निश्चित की




गई है। जनसुविधा कॉम्प्लेक्स की देख रेख का खर्च इस्तेमाल करने वाले लोगों से शुल्क/वसूल करके किया जाएगा।

मिजोरम के डारेनगेर मंडल के सब डिविजनल ऑफिसर श्री स्वपनिल तेबे ने इन जनसुविधा कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मॉडल में कुल चार शौचालय बनाए जा रहे हैं जिसमें दो पुरुषों के लिए होंगे और दो महिलाओं के लिए। अब तक राज्य सरकार के सीमित फंड से कुछ ही गांवों में शौचालय बन पाये थे। लेकिन प्लास्टिक की बोतलों के शौचालयों के निर्माण की लागत कम है इसलिए राज्य सरकार के सीमित फंड से ही हर साल



प्लास्टिक के बोतलों के 10 शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। प्रत्येक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर दो लाख रुपये का खर्च आएगा।



जिले में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक नजारों से लबरेज है। इसलिए यहां पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। इसके कारण यहां प्लास्टिक की बोतलों का कूड़ा भी एक समस्या है। इन खाली बोतलों को जमा कर इनसे शौचालय बनाने के विचार से दो समस्याओं का समाधान हो पाया है। पहली समस्या प्लास्टिक की खाली बोतलों के निस्तारण की है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल शौचालय के निर्माण में शुरू हुआ है। दूसरी समस्या जनसुविधाओं के निर्माण के लिए धन की कमी का भी समाधान हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिला स्तर पर कई स्वच्छता मुहिम चलायी गई जिसमें कॉलेज और सभ्य समाज समूह

के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस विशेष अभियान में करीब 5000 प्लास्टिक की खाली बोतलों को इकट्ठा किया गया जो कि एक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए काफी है। जिला प्रशासन ने एकत्र की गई इन खाली बोतलों को बालू और मिट्टी से भर कर इनका इस्तेमाल सुनिश्चित किया। बोतलों को बालू से भरने के लिए मजदूर लगाए, साथ ही ईटों के स्थान पर बोतलों के इस्तेमाल से पहले मिस्त्रियों को ट्रेनिंग दी गई। इस तरह प्लास्टिक की बोतलों के प्रयोग से पर्यावरण को साफ और प्लास्टिक मुक्त रखने की दिशा में सकारात्मक पहल संभव हुई। इससे शौचालयों के निर्माण की लागत में भी कमी आई क्योंकि ईटों के स्थान पर बोतलों का प्रयोग हुआ। इस पहल से लोग भी काफी आश्रित और खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके गांव के प्लास्टिक के कूड़े का सही मायने में इस्तेमाल हो पा रहा है। लोगों ने पर्यावरण को साफ सुधरा रखने की इस मुहिम का समर्थन किया और इसके भागीदार बने रहने की इच्छा भी जताई।

बिहार

सेनिटेशन थीम पार्क दे रहा स्वच्छता का संदेश



बिहार के सिवान जिला कलेक्ट्रेट



केंपस में विकसित स्वच्छता थीम पार्क चर्चा में है। कलेकट्रेट परिसर में अपनी तरह का इकलौता और अनूठा सेनिटेशन पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में मौजूद फूलों वाले पौधे खास तरह के गमलों में लगाए गए हैं। टॉयलेट पॉट के आकार वाले गमलों में रंग बिरंगे और खुशबूदार पौधे लगाए गए हैं। इसलिए यहां से गुजरने वालों की निगाह पार्क के गमलों पर ठहर सी जाती है।

इस थीम के बारे में समझाते हुए उप विकास आयुक्त सुनील कुमार बताते हैं कि वे वहां के तकरीबन सभी गांवों में गए और उन्होंने वहां के मंदिरों के साफ परिसर को देखा। साथ ही घरों से लगभग 20-30 फीट की दूरी पर बने शौचालयों की हालत भी देखी। इनकी हालत देखकर उन्हें लोगों के विचारों को भी जानने का मौका मिला। यह जानकर उन्हें हैरानी हुई कि लोग शौचालयों को मलिन स्थान के रूप में देखते हैं जबकि लोग इनका दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। उपयोगी होने के चलते शौचालयों का लोगों की जिदंगी में अहम स्थान होना चाहिए पर वास्तविकता इससे उलट थी। 'उनकी समझ से लोग अपने शौचालयों को सकारात्मक रूप से देखें और स्वच्छ रखें तभी उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा।'

पार्क के थीम का मुख्य उद्देश्य लोगों की सोच में बदलाव लाना था। इसलिए इस दिशा में पहल करते हुए सेनिटेशन पार्क विकसित किया गया जिसमें टॉयलेट पॉट के आकार के गमलों को लगाया गया। इस तरह के

विकास आयुक्त ने बताया कि विद्या बालन के विज्ञापन 'जहां सोच वहां शौचालय' से इस पार्क ने मूर्त रूप लिया।

इसके पीछे सोच यह भी है कि जो लोग इस पार्क को देखें उन्हें इसमें सकारात्मक सोच नजर आए। शौचालय स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है इसलिए लोगों को इसके प्रति नकरात्मक विचारों को त्याग कर इसके सकारात्मक पहलू को अपनाना चाहिए। उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि शौचालय के प्रति लोगों की सोच को बदलने की दिशा में एक और पहल की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रमों में शामिल अतिथियों को टॉयलेट पैन के आकार वाले गमलों में लगे पौधे भेंट किए गए और लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। इस तरह लोगों में टॉयलेट पॉट को सहर्ष स्वीकार करने की मनोवृत्ति को विकसित किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बनाए रखने और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की मंशा से पार्क की दीवारों पर स्वच्छता का संदेश, ग्राफिक्स और पेंटिंग्स को दर्शाया गया।

उत्तर प्रदेश

बरेली के शौचालयों का सौंदर्यीकरण

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को गति देने के मकसद से उठाए गए नायाब





उपाय काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित शौचालयों का सौंदर्यकरण प्रतियोगिता एक ऐसी ही पहल की कहानी है। यह प्रतियोगिता जिले के 1193 ग्राम पंचायतों में आयोजित की गई जिससे शौचालयों की दशा में सुधारने के प्रति लोगों में जागरूकता आई। इस प्रतियोगिता के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लाभार्थियों ने शौचालयों की दीवारों पर पेटिंग की तो कुछ गांव वालों ने शौचालयों को गुब्बारे से सजाया, तो कुछ ने फूल माला से सजावट की। वहीं कुछ पंचायतों ने तो शौचालयों के दरवाजे को बदलने के साथ सुंदर टाइलें लगाई। इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही संदेश था स्वच्छ शौचालय। इस अभियान पर बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि जब जिला स्तर पर गठित टीमें गांव का निरीक्षण करने गई तो उन्हें वहाँ कुछ शौचालय काफी खराब हालात में मिले। इनकी दशा सुधारने और लोगों को इनके रख-रखाव के प्रति जागरूक करने के लिए ही पंचायतों के बीच प्रतियोगिता रखी गई। इसी तर्ज पर जिले के 2800 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में भी शौचालय सौंदर्यकरण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इससे स्कूलों के शौचालयों में काम हुआ और उनकी बेरंग दीवारों पर पेंट का काम शुरू हुआ। प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के पांच सर्वश्रेष्ठ स्कूलों और जिला स्तर के पांच स्कूलों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार के तौर पर विजयी स्कूलों को फर्नीचर और कंयूटर प्रदान किए गए जिससे उनकी कक्षाएं स्मार्ट हो सकें।

इस तरह जिला प्रशासन के प्रयासों से शौचालय की दशा सुधार गई और कुछ स्कूलों में कंयूटर भी लग गए।

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने स्कूलों में मानव श्रृंखला बनाई और गैरव यात्रा भी निकाली। अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वच्छग्राही, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को सम्मानित किया गया।

फिरोजाबाद में शौचालय संसद का आयोजन

विश्व शौचालय दिवस के मौके पर यानी 19 नवंबर को फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने शौचालय संसद का आयोजन किया। यह संसद वाजिदपुर ग्राम पंचायत में आयोजित हुई। इसमें छह प्रस्ताव पारित किए गए।

फिरोजाबाद 2 अक्टूबर 2018 को खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। इस स्टेटस को बनाए रखने और ठोस व तरल कूड़े के निपटान के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से जिले में संसद का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

संसद में पारित किए गए छह

अहम प्रस्ताव—

- 1) खुले में शौच करते पाए जाने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। जुर्माने से जमा की गई राशि ग्राम पंचायत के राजस्व में जमा की जाएगी।
- 2) खुले में शौच मुक्त के स्टेटस को बरकरार रखने के दूसरे पड़ाव यानी जिन घरों में एक गड्ढे वाला शौचालय है, उसे दो गड्ढे में बदलने की शुरूआत होनी चाहिए।
- 3) सेटिक टैंक वाले शौचालयों वाले घरों में लोगों को एक सोखा बनाने की भी पहल करनी चाहिए ताकि सीवर का पानी सीधे नालों में ना पिर कर पहले सोखा में जाए।
- 4) उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, इसलिए लोगों को इसके इस्तेमाल को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए।
- 5) जैविक खेती पर जोर। कृषि क्षेत्र में रसायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए।
- 6) हर गांव में गीले और सूखे कूड़े को पृथक करने की व्यवस्था को विकसित करने को अनिवार्य करना चाहिए।

ये सारे प्रस्ताव जिले को साफ-सुधरा और खुले में शौच मुक्त रखने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही ओडीएफ प्लस यानी ठोस व तरल कूड़े के प्रबंधन में भी अहम साबित होंगे।





महात्मा गांधी इंटरनेशनल सेनिटेशन कन्वेंशन 2018 में बैंडिकूट नामक रोबोट 2.0 को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एन्टोनियो गूटेरेस

बैंडिकूट 2.0 रोबोट: मानव हाथों के बजाय अब रोबोट से होगी सीवर की सफाई, बचेंगी लोगों की जानें

सीवर की सफाई के समय हादसों से होने वाली मौतों को रोकने के मकसद से बैंडिकूट नामक रोबोट का प्रयोग सीवर की सफाई के लिए जल्दी ही किया जाएगा। यह सेमीऑटोमैटिक रोबोट है, जो सीवर के मैनहोल का ढक्कन हटाने से लेकर सीवर के अंदर की गाद भी साफ करेगा। यह चार हाथों से लैस है जो सफाई के काम को आसानी से करने में सक्षम है। बैंडिकूट अपने हाथों में लगे यंत्रों से जाम सीवर के कोने कोने की सफाई दक्षता के साथ कर उसमें निकलने वाली गाद को एक बाल्टी में जमा कर सकता है। रोबोट अपने मल्टी-टास्किंग हाथों से सफाई

यंत्र जैसे जेटिंग और रोडिंग मशीन को पकड़ कर रख सकता है, और जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकता है। रोबोट प्रभावी कैमरे से भी लैस है, जिसकी मदद से गहरे सीवर में भी सफाई का काम बखूबी किया जा सकता है। यह रोबोट प्रशिक्षित लोगों व यूजर इंटरफ़ेस प्रणाली द्वारा तैयार प्रोग्रामिंग के माध्यम से नियंत्रित होता है। इसके इस्तेमाल के लिए मैनहोल के ऊपर एक नियंत्रण केबिन बनाया जाता है जहां से बैंडिकूट सफाई के काम को अंजाम देता है। बैंडिकूट ऊंची-नीची सतह पर स्थित मैनहोल की सफाई भी खास तरह से बने शोवल (बेलचा) से कर सकता है। साथ

ही सीवर लाइन का निरीक्षण करने के साथ इसमें लगे सेंसर की मदद से समस्या का पता लगा सकता है। बैंडिकूट सही मायने में हाथ से सीवर साफ करने व मैनहोल की सफाई करने वाले लोगों के लिए वरदान है। मैनहोल के अंदर जाने से लेकर उसके जाम के केन्द्र का पता लगाने तक का काम अब रोबोट से हो सकेगा। इस स्टेट आफ आर्ट तकनीक से तैयार रोबोट का निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है। इसके सुचारू रूप से काम में लगाए जाने के बाद सफाई के क्षेत्र में एक क्रांति आ जाएगी और हाथ से जल मल साफ करने वालों की कहानी बीते दिनों की बात हो जाएगी।



बैंडिकूट रोबोट की विशेषताएं

- कार्बन फाइबर से निर्मित और वजन भी बेहद हल्का
- जहरीली गैस की आसानी से पहचान
- आईपी 68 वॉटर-प्रूफ से लैस
- नलों की कोने कोने की सफाई करने की क्षमता
- स्मार्ट तकनीक, वाई फाई से लैस
- जंग प्रभाव रहित

आप आदमी की जरूरतों को देखते हुए बैंडिकूट को अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है जिसे आसानी से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोबोट के आने से यह क्यास लगाना बिलकुल गलत होगा कि इससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा। बल्कि इसके विपरीत यह रोजगार के नए अवसरों को जन्म देगा क्योंकि इसे चलाने व निरानी रखने का काम लोगों को ही करना होगा।

रोबोट बनाने वाली कंपनी जेनरोबोटिक्स ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन 2018 का हिस्सा बनने पर गौरवान्वित महसूस किया। बैंडिकूट 2.0 नामक रोबोट को पहली बार इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एन्टोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। इस रोबोट के आने से स्वच्छ भारत मिशन को पर लग जाएंगे और यह भारत को स्वच्छ रखने की भविष्य की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।



विश्व शौचालय दिवस 2018

स्वच्छ भारत जनआंदोलन को जन जन तक ले जाने के मकसद से पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय ने 9 नवंबर से 19 नवंबर तक विश्व शौचालय दिवस प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 412 जिलों ने भाग लिया। इसमें उन राज्यों को शामिल नहीं किया गया जिनमें चुनाव होने थे। दस दिनों तक चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के आखिरी दिन यानी 19 नवंबर को आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रमों को खास तरजीह दी गई। कार्यक्रमों का उद्देश्य जनजागरूकता, जनसमूह को प्रेरित करना, नए विचारों को समर्थन के साथ साथ तमाम योजनाओं की गति को बढ़ाकर रखना था। इस प्रतियोगिता के लिए मंगवाए

स्वच्छता पर और विडियो देखने के लिए निम्न व्यू आर कोड को मोबाइल से स्कैन करें।

स्वच्छ पेयजल ग्रामीणों के लिए



असुणाचल प्रदेश
स्वच्छता अभियान
सचिव, डीडल्लूएस



युवा सरपंच
नुवकड़ नाटक



गांवों के लिए
शौचालय



गांव विकास की
ओर अग्रसर





अंतरिम बजट-2019-20 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

अंतरिम बजट 2019-20 की मुख्य बातें हैं— प्रत्यक्ष आय सहायता के साथ 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी योजना, असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए पेंशन योजना, 5 लाख वार्षिक तक की आमदनी के लिए आयकर में छूट, स्टैम्प ड्यूटी में सुधार, रक्षा के लिए अब तक का सबसे अधिक 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 58,166 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन, हरियाणा के लिए एक नया एम्स, विदेशी फ़िल्म निर्माताओं के समान भारतीय फ़िल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की सुविधा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गों एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाओं के लिए बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी, 1.5 करोड़ मछुआरों के लिए मत्स्य पालन को एक पृथक विभाग बनाना आदि।

वृहत् योजना

छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बजट में 75 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए) तथा 20 हजार करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 का संशोधित अनुमान) के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के बारे में सतत ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार ने अलग से मत्स्य पालन विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रयास के माध्यम से सरकार इस क्षेत्र पर निर्भर लगभग 1.45 करोड़ लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करना चाहती है।

डिजिटल ग्राम

सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी। भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश बन गया है। सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है।

किसान केडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां कर रहे किसानों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।

इस वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन 750 करोड़ रुपये किया गया है। राष्ट्रीय कामधेनू आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे गाय संसाधनों का सतत अनुवांशिक उन्नयन करने और गायों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को पेंशन संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन नामक नई योजना की घोषणा की गई है।

महिलाओं के विकास से लेकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास

उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए, अगले वर्ष तक कुल 8 करोड़ गैस कनेक्शन हो जाएंगे। मुद्रा ऋण का 70 प्रतिशत भाग महिलाओं द्वारा प्राप्त किया गया।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा व्यापारी

अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के ऋण एक घंटे से भी कम समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केट-प्लेस) के कारण 25 प्रतिशत-28 प्रतिशत की औसत बचत।

सड़कें

भारत दुनिया में सबसे तेज राजमार्ग विकासकर्ता देश है। रोजाना 27 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। रुकी परियोजनाएं पूरी हुई-दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न पैरिफेरल हाईवे। असम और अस्सिनाचल प्रदेश में बोगीबील रेल एवं सड़क पुल।

प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव

पांच लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट। मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर रहत। मानक कटौती 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई। बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अंजित ब्याज पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।

आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाएं

क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार ने आप की बीमारी का खर्च उठाने के लिए आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) शुरू की है। यह वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए भारत सरकार की हेतु इंश्योरेंस स्कीम यानी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 1 अप्रैल, 2018 से पूरे भारत में लागू की गई है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। यदि आप आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। आधार नंबर से परिवारों की सूची तैयार की जाती है। आप mera.pm.jay.gov पर अपना नाम चेक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

सरकार ने आम बजट में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दी है। यदि आप 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान हैं तो आपको हर वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता वर्ष में तीन बार 2000 रुपए की किस्तों में दी जाएगी। इससे 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस योजना में आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगा। इस योजना की पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना

सरकार ने 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नायाब पेंशन योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू हो रही है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस मेंगा पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार की आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए। 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा।



पंचायती राज मंत्रालय

www.facebook.com/MinistryofPanchayatiRaj
[@mopr_goi](mailto:mopr_goi)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

www.facebook.com/IndiaRuralDev

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

www.facebook.com/MODWS
[@swachhbharat](http://swachhbharat)



एक कदम स्वच्छता की ओर

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
एडीटर-इन-चीफ़: अमरजीत सिंह, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
मस्स थामसन प्रस, बा-315, सा-ब्लाक राड, आखला-1, आखला इण्डस्ट्रीजल एरया,
नई दिल्ली, दिल्ली-110020 से मुद्रित
पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित

Title Code: DELHIN28781